BBJ
KOLKATA

39 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

39th ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31st MARCH 2025

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

गंगा नदी पर प्रयागराज में रेलवे पुल 12 दिसंबर 2024 से चालू है
जिसे महाकुंभ 2025 के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।
Railway Bridge at Prayagraj, across river Ganga is operational from
12 Dec 2024 and extensively used during Mahakumbh 2025.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
CMDE. RAKESH CHHILLAR (Retd.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

पूर्णकालिक निदेशक / WHOLE TIME DIRECTOR

श्री नरेश कुमार
SHRI NARESH KUMAR
निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical)

श्री सुजीत कुमार घोष
SHRI SUJIT KUMAR GHOSH
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)

सरकारी नॉमिनी निदेशक / GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

श्री उदय भान सिंह
SHRI UDAI BHAN SINGH

वार्षिक प्रतिवेदन
(हिंदी)

विषय सूची

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	3
3.	अध्यक्ष का संदेश	7
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	9
5.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	35
6.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	50
7.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	53
8.	तुलन पत्र	56
9.	लाभ एवं हानि का विवरण	58
10.	नकद प्रवाह का विवरण	59
11.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	61
12	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	62

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन सहित निदेशकों की अद्यतन सूची

		नाम	अवधि
निदेशक मंडल	:	**कमोडोर राकेश छीलर**	
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	27.12.2022 से
		निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	06.06.2024 तक
		निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार	01.02.2025 से 13.07.2025 तक
		श्री राजीव कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	31.01.2025 तक
		श्री सुजीत कुमार घोष निदेशक (वित्त)	07.06.2024 से
		श्री नरेश कुमार निदेशक (तकनीकी)	14.07.2025 से
		श्री आदित्य कुमार घोष सरकार नामांकित निदेशक	27.02.2025 तक
		श्री उदय भान सिंह सरकार नामांकित निदेशक	27.02.2025 से
		श्रीमती सरला देवी स्वतंत्र निदेशक	14.02.2025 तक
मुख्य सतर्कता अधिकारी	:	**सुश्री चंद्राणी गुप्ता**	पूरे वर्ष
लेखा परीक्षकः	:	बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी चार्टर्ड अकाउंटेंट	
सॉलिसिटर	:	फॉक्स एंड मंडल कोलकाता	
		फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट एलएलपी कोलकाता	
		फॉक्स एंड मंडल एलएलपी नई दिल्ली	
बैंकर्सः	:	भारतीय स्टेट बैंक कैनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालयः	:	27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001, पश्चिमबंगाल	

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों/शेयरधारकों की पुनर्निर्धारित 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक, जो 11 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली थी, उसे **शुक्रवार, 12 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल** में निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित करने के लिए **पुनर्निर्धारित** किया गया है:

साधारण काम-काज :

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 की तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।

2. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4. सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना|

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001

दिनांक : 08 सितंबर 2025

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 39 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 11 सितंबर 2025 को 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी: –

साधारण काम-काज :

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 की तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।

2. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4. सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना |

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001

दिनांक : 20 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी और तदनुसार, कंपनी की 39वीं एजीएम सदस्यों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के साथ आयोजित की जाएगी, यदि आवश्यक हो और इस उद्देश्य के लिए वीसी / ओएवीएम लिंक अलग से साझा किया जाएगा।

3. वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट स्थल पर 39वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी।

प्रतिपुरूष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन	**:**	**U70100WB1986GOI041286**
कंपनी का नाम	**:**	**दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय	**:**	**27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत**

सदस्य (यों) के नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी डीपी आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में ………………………. शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित

1. नामः ……………. पताः : ईमेल आईडी: ....
   हस्ताक्षरः................... , या उसके चूकने पर
2. नामः ……………. पताः : ईमेल आईडी: ....
   हस्ताक्षरः................... , या उसके चूकने पर
3. नामः ……………. पताः : ईमेल आईडी: ....
   हस्ताक्षरः................... , या उसके चूकने पर
4. नामः ……………. पताः : ईमेल आईडी: ....
   हस्ताक्षरः................... , या उसके चूकने पर

को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से ……….., ……. सितम्बर, 2025 को, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 39 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता/ते हूँ/ हैं और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।

संकल्प संख्या

1 …………

2 …………

3 …………

4 …………

..........................सितम्बर, 2025 के ....वें दिन हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षरः .... (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों वाली वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

आज की बैठक के औपचारिक एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा: -

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने कुल ₹19578.07 लाख की आय अर्जित की, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹26074.99 लाख थी।
- उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹ 3059.62 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 2063.03 लाख) है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में ₹11644.53 लाख की तुलना में आरक्षित निधि एवं अधिशेष ₹14291.54 लाख है (वर्ष-दर-वर्ष 23% वृद्धि) और निवल संपत्ति ₹26377.59 लाख है जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ₹23730.58 लाख थी (वर्ष-दर-वर्ष 11% वृद्धि)।
- आलोच्य वर्ष के दौरान हमारी ऑर्डर बुक में 31 मार्च, 2025 तक ₹45390.23 लाख के मूल्य के साथ वृद्धि का रुझान रहा है। हमें आशा है कि आगामी व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए ऑर्डर बुक में और वृद्धि होगी।

प्रमुख परियोजनाएं, प्रयागराज में गंगा नदी पर रेलवे पुल, मिजोरम में बैराबी-सैरांग लाइन पर सात रेलवे पुल और मणिपुर में इरंग और इरिंग नदियों पर दो रेल पुल कुशलतापूर्वक किए गए हैं। प्रयागराज में गंगा नदी पर रेलवे पुल 12 दिसंबर 2024 से चालू है और महाकुंभ के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। मिजोरम में बैराबी - सैरांग लाइन भी निकट भविष्य में चालू होने की संभावना है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अन्य परियोजनाएं भी पूरी होने वाली हैं। कंपनी ने दूरस्थ परियोजना स्थलों की निर्माण इनपुट लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों में बढ़ोतरी के बावजूद प्रभावी ढंग से और कुशलता से संचालन किया है और परिचालन मार्जिन / लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम है। चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के सफल समापन ने संगठन की संस्थागत विशेषज्ञता को बढ़ाया है।

रेलवे पुलों के मुख्य खंड में कारोबार को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही अन्य खंडों में विविधीकरण के अवसरों की तलाश की जा रही है। हाल ही में कंपनी ने अन्य व्यावसायिक खंडों - रोड-ओवर-ब्रिज (आरओबी), रेल पुलों की री-गर्डरिंग, फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी), औद्योगिक संरचनाएँ और पुराने अपशिष्ट प्रबंधन - में एक मामूली शुरुआत की है। कंपनी आईडब्ल्यूएआई के पोंटून पुलों में भी प्रवेश का प्रयास कर रही है। यह जानकारी उत्साहवर्धक है कि इन नए क्षेत्रों में 45000.00 लाख रुपये से अधिक का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी भविष्य के व्यावसायिक अवसरों और चुनौतियों के अनुरूप कार्यकुशलता बढ़ाने, ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने और संगठन के ढांचे को पुनर्गठित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

हमारा प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधीकरण करके स्थिरता के साथ विकास हासिल करना है। छोटे/मध्यम/बड़े मूल्य की परियोजनाओं के लिए, अपने दम पर या प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन/गठबंधन के माध्यम से, एक मज़बूत व्यावसायिक अधिग्रहण रणनीति अपनाई जा रही है। वित्तीय स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण, लागत जागरूकता और अनुकूलन तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता, सभी प्रयासों में हमारे दृष्टिकोण का आधार हैं। कंपनी स्थिरता, विकास और लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में सोच-समझकर कदम उठा रही है।

हम वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ-साथ कार्य के नए क्षेत्रों को पूरा करने के लिए एक विविध और बहु-कुशल टीम के साथ एक सुव्यवस्थित और चुस्त संगठन विकसित करने के अपने दृष्टिकोण पर अडिग हैं। अपनी संस्थागत विशेषज्ञता को सुदृढ़ करते हुए, हम प्रशिक्षण, उन्नत कौशल, प्रौद्योगिकियों, नवीन विधियों/प्रक्रियाओं पर ज़ोर देते रहेंगे और इस प्रकार अपनी टीम को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। हम पर्यावरण की स्थिरता और संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और अपनी परियोजनाओं/कार्यों को करते समय पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत तिमाही और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना किसी देरी के, निर्धारित तिथि के भीतर डीपीई के पास जमा की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में कॉर्पोरेट प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है। हम डीपीई/भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों को कंपनी के समग्र प्रबंधन में उनके बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, आरवीएनएल, इरकॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, नियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी हितधारकों से मिले पूर्ण सहयोग के लिए भी आभारी हूँ। हम कंपनी के भविष्य के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

मैं, संपूर्ण निदेशक मंडल की ओर से, बीबीजे के सभी स्तरों के कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद

जय हिन्द

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक,

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

1 वित्तीय मुख्य अंश

1.1.1 कंपनी की वित्तीय विवरणियाँ लेखांकन की परिलाभ (एक्रूअल) पद्धति पर आधारित होकर उन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड ए.एस.) के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, जिन्हें कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित और लागू प्रावधानों की सीमा तक अनुपालन किया गया है।

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 बनाम 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:-*(₹ लाख में)*

ब्यौरा	2024-2025	2023-2024
संचालन से राजस्व	18276.59	25010.37
अन्य आय	1301.48	1064.61
मूल्यह्रास से पहले लाभ/(हानि), वित्तीय लागत, असाधारण वस्तुएँ और कर व्यय	4178.96	3014.33
घटाएँ: मूल्यह्रास/ परिशोधन/ क्षति	119.49	149.72
वित्तीय लागत, असाधारण मदों और कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	4059.47	2864.61
घटाएँ: वित्तीय लागत	50.84	69.29
कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	4008.63	2795.32
घटाएँ: कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	949.01	732.29
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3059.62	2063.03

1.1.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की कुल आय ₹19578.07 लाख है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान यह ₹26074.99 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹3059.62 लाख है (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2063.03 लाख)।

1.1.4 आपकी कंपनी ने परिचालन और लाभप्रदता दोनों के संदर्भ में वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभदायक ऑर्डर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। आपकी कंपनी ने लगातार लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है।

2 पूंजी संरचना

2.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 तक अधिकृत कुल शेयर पूंजी ₹ 34810 लाख है तथा चुकता शेयर पूंजी ₹ 12086.05 लाख है।

3 सामान्य आरक्षित

3.1 31 मार्च, 2025 तक सामान्य आरक्षित निधि (प्रतिधारित आय को छोड़कर) ₹ 1473.65 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 ₹ 1473.65 लाख) है।

4 लाभांश

4.1 बोर्ड द्वारा सिफारिश और आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद भारत सरकार को लाभांश देय होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 412.61 लाख का लाभांश का भुगतान किया।

4.2 लाभांश भुगतान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और भारत सरकार / निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा निर्देशित होगा या छूट, यदि कोई हो, जैसा कि डीआईपीएएम द्वारा विचार किया जा सकता है।

5 प्रबंधन, चर्चा और विश्लेषण

5.1 कंपनी का संक्षिप्त विवरण

5.1.1 17 सितंबर 1986 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में निगमित कंपनी में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचाई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति इसकी संपूर्ण 100% इक्विटी शेयर पूंजी रखते हैं। कंपनी एमएचाई के अंतर्गत एक अनुसूची 'ग' सीपीएसई है।

5.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में लगी हुई है:

i इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - रेलवे, आरओबी के लिए स्टील पुल,के बारे में काम,

ii परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण,

iii औद्योगिक संरचनाएं,

iv जैव खनन विरासत अपशिष्ट,

v कंपनी अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी विविधता लाने का प्रयास कर रही है।

5.1.3 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं।

5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बीबीजे का विजन, मिशन और उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

- उच्च गुणवत्ता के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग चमत्कारों का नवाचार, डिजाइन और निर्माण करना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग मानक।
- सभी के प्रति देखभाल और चिंता के साथ लाभदायक, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालनशील और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बने रहना हितधारकों.

5.2.2 मिशन और उद्देश्य

- विश्व स्तरीय प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना।
- देश के भीतर और बाहर विशिष्ट पुलों और इंजीनियरिंग चमत्कारों का निर्माण करना।
- नवोन्मेषी, उद्यमशील बनना, निरंतर मूल्य सृजन करना तथा वैश्विक मानक प्राप्त करना।
- ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध तथा नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों की क्षमताओं को निरंतर विकसित करने हेतु संकल्पित।

5.3 उद्योग संरचना और विकास

5.3.1 अर्थव्यवस्था की स्थिति - वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित अर्थव्यवस्था का आकलन और दृष्टिकोण नीचे दिया गया है:

"मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक के साथ जारी अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके उसे 6 प्रतिशत करने का निर्णय मुद्रास्फीति में कमी, विशेष रूप से खाद्य कीमतों में, और आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार के आधार पर लिया गया है। 2025-26 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य दायरे में रहने की उम्मीद के साथ, यह रिपोर्ट वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सतर्क आशावाद का संकेत देती है।"

बाह्य मोर्चे पर, मज़बूत सेवा निर्यात और मज़बूत धन-प्रेषण प्रवाह ने वस्तु व्यापार घाटे को कम करने में मदद की है, जिससे चालू खाता घाटा टिकाऊ स्तर पर बना हुआ है। इस बीच, बेहतर प्रणालीगत तरलता, कम अल्पकालिक उधार लागत और स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार भारत की वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। आरबीआई ने बदलती परिस्थितियों पर कड़ी नज़र रखने और व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर, सोच-समझकर कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

(स्रोत - https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120509)

5.3.2 भारतीय अवसंरचना क्षेत्र और सरकारी पहल

5.3.1.1 सरकारी पहल निम्नलिखित के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी:

मजबूत मांग

आकर्षक अवसर

नीति समर्थन

निवेश में वृद्धि

5.3.1.2 बुनियादी ढाँचे और रेलवे के विकास के सरकारी दृष्टिकोण से निर्माण क्षेत्र को उत्कृष्ट विकास के अवसरों के साथ बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी, पुल निर्माण, सिविल निर्माण और औद्योगिक संरचनाओं में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता/योग्यता के साथ, अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी कंपनी की रणनीति, बाजार विकास के लिए निरंतर प्रयास करने और स्थापित संस्थाओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की है, साथ ही स्थिरता और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने में सक्षम बनाएगी। आपकी कंपनी उद्देश्य-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार रहने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

5.3.1.3 आपकी कंपनी आधुनिक इन्फ्रा परियोजनाओं के प्रसार के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा पीएमसी व्यवसाय में विविधीकरण के माध्यम से अन्य व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के अलावा आगामी वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना से और अधिक लाभ उठाने के लिए भी तैयार है।

5.3.1.4 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से पारंपरिक व्यवसाय पथ से विविध क्षेत्र में वादा किए गए विकास दर के साथ इसके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा।

5.3.1.5 भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर दिए जाने तथा आपकी कंपनी की पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

5.4 ताकत और कमजोरी

5.4.1 ताकत

- भारत में महत्वपूर्ण/विशिष्ट पुलों के क्षेत्र में सशक्त ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा, समृद्ध अनुभव। पुल, सिविल निर्माण और औद्योगिक संरचना परियोजनाओं में कार्यरत।
- दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने का दशकों का अनुभव
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड

- हमारे ग्राहकों, उप-ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित स्थायी संबंध
- उच्च योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/अधिकारियों और अन्य कुशल कर्मचारियों के साथ लीन संगठन
- सकारात्मक नेटवर्थ। 2005 से लगातार लाभप्रदता।
- अल्पावधि में A1+ और दीर्घावधि में A+ क्रेडिट रेटिंग सुविधाएं उपलब्ध होना।
- उत्तर एवं उत्तर पूर्व के सुदूर एवं ऊंचे भूभाग वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रमाण-पत्र।

5.4.2 कमजोरी

- कंपनी में उच्च स्तर और प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी कर्मचारियों की संख्या में कमी,
- चूंकि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है, इसलिए बड़े कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पुल, सड़क और सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय का नुकसान हो रहा है।
- प्रवेश करने में असमर्थता में वित्तीय एवं अन्य सीमाओं के कारण बीओटी/बीओओ और अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

5.5 अवसर, जोखिम और बाधाएं

5.5.1 अवसर

- भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटीज मिशन', 'पीएम गति शक्ति योजना' और विभिन्न अन्य पहलों की घोषित नीतियों के परिणामस्वरूप सड़क और सिविल निर्माण आदि में मांग बढ़ेगी, जिससे निर्माण कंपनियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।
- उच्च बजटीय आवंटन बुनियादी ढांचे के लिए भारत सरकार द्वारा क्षेत्र में 100 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- कॉर्पोरेट कर को युक्तिसंगत बनाना, आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना जैसी उद्योग समर्थक नीतियों और पहलों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र आदि
- भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है।क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्य के विकास कार्य।
- भूतल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोग।

5.5.2 जोखिम

- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश हुआ है एक बड़े पैमाने पर आकर्षित निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है।
- निजी क्षेत्र की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ मार्जिन कम हो सकता है।
- नामांकन व्यवसाय पर प्रतिबंध.
- रिवर्स नीलामी परिचालन मार्जिन को प्रभावित करती है।

5.5.3 बाधाएं

एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की क्षमता कम होती है। छोटे आकार और वित्तीय सीमाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपनी मुख्य क्षमताओं के साथ लाभप्रदता बनाए रखी है और भारत सरकार को निरंतर लाभांश का भुगतान किया है, साथ ही भारत के उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग सहित बुनियादी ढाँचे से जुड़ी पहलों में मामूली योगदान दिया है।

5.5.3.1 प्रमुख परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि के कारण वित्तीय परिसंपत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे नई परियोजनाओं में भागीदारी सीमित हो जाती है।

5.5.3.2 उच्च मूल्य और जटिल सिविल परियोजना/ वाया-डक्ट/ एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए क्रेडेंशियल का अभाव।

5.5.4 जोखिम और चिंताएँ

5.5.4.1 नामांकन द्वारा व्यवसाय में प्रतिबंध, निजी क्षेत्र द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा और आक्रामक बोली, सीमित वित्तीय क्षमता/टर्नओवर के मुकाबले बड़े मूल्य के ईपीसी अनुबंध तथा निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में कम परिचालन लचीलापन भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं।

5.5.4.2 कंपनी के कर्मचारी और परियोजनाएँ कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन के जोखिमों से जूझ रहे हैं/जुड़े हुए हैं। हालांकि, कंपनी को राष्ट्रीय निर्माण कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को अंजाम देने पर गर्व है। कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं।

5.5.4.3 वित्तीय विवरणों पर नोट्स के अंतर्गत जोखिम संबंधी विवरण भी उल्लिखित हैं।

5.6 वर्तमान परिचालन, स्थिति और भविष्य की संभावनाएं

5.6.1 व्यावसायिक माहौल को निजी क्षेत्र से आक्रामक बोली प्रक्रिया के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, रिवर्स ऑक्शन ने भी अवसरों को सीमित कर दिया है। बड़े मूल्य के ईपीसी टेंडरों के लिए उन्नत साख (तकनीकी और सीमांत वित्तीय क्षमता) की आवश्यकता होती है। इस वर्तमान परिदृश्य में मार्जिन काफी कम हो जाता है।

5.6.2 दक्षता बढ़ाने की दिशा में उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी निकट भविष्य में ऑर्डर बुक को सुरक्षित करने और उसमें उल्लेखनीय सुधार लाने के प्रति अत्यंत आशावादी है। हम बोली लगाने, संचालन, खरीद, कार्यान्वयन और परियोजनाओं के तेज़ टर्नओवर में दक्षता बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं।

5.6.3 आपकी कंपनी उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कठिन इलाकों में जटिल परियोजनाओं को शुरू करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए उच्च मूल्य के ईपीसी और अन्य अनुबंध की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम और गठजोड़ की भी संभावना तलाश रही है।

5.7 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

5.7.1 बीबीजे रेलवे के लिए स्टील पुलों के निर्माण और स्थापना, सिविल निर्माण, आरओबी और अन्य सिविल परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्यों में संलग्न है।

5.7.2 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(क)	इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील पुल	**निर्माण का:** स्टील पुल, पुराने पुलों का पुनर्वास, पुल गर्डरों का विनिर्माण और आपूर्ति आदि।	भारतीय रेलवे और अन्य सीपीएसई
(ख)	परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य	**निर्माण का:** भवन, स्कूल परिसर, सड़क आदि।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)
(ग)	औद्योगिक संरचना	**इस्पात संरचना का निर्माण और स्थापना**	मेकॉन और अन्य सीपीएसई

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(घ)	विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन	**कचरे का प्रबंधन**	चंडीगढ़ नगर पालिका

5.7.3 परिचालन प्रदर्शन

5.7.3.1 31 मार्च 2025 तक ऑर्डर बुक की स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजनाओं से ₹ 26687 लाख और औद्योगिक संरचना सहित सिविल और औद्योगिक परियोजनाओं से ₹ 18703.23 लाख है, जो कुल मिलाकर ₹ 45390.23 लाख है।

5.7.3.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, रोड ओवरब्रिज, री-गर्डरिंग, स्टेशन विकास आदि के लिए ₹ 25598.06 लाख का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

5.7.4 विविधीकरण और भविष्य की संभावना

5.7.4.1 भविष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक है और आगामी वर्ष में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की संभावना है।

5.7.4.2 आपकी कंपनी द्वारा दो व्यावसायिक मॉडलों, अर्थात् परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और इंजीनियरिंग खरीद एवं अनुबंध (ईपीसी) के अंतर्गत उत्पाद श्रृंखला के समेकन और विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। मौजूदा उत्पाद मिश्रण के अतिरिक्त, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाएँ, जो आपकी कंपनी के व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत आती हैं, और सीमित साधनों और संसाधनों के साथ, हमने कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अनुभव, विशेषज्ञता और दक्षता के स्तर के साथ सड़क, पुल और सिविल निर्माण कार्यों के ऑर्डर पहले ही निष्पादित कर दिए हैं।

कंपनी अपनी साख (तकनीकी और वित्तीय) को बढ़ाने और उच्च मूल्य वाले पीएमसी/ईपीसी/दर अनुबंधों के लिए "भविष्य के लिए तैयार" होने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

कंपनी द्वारा मौजूदा उत्पाद लाइन के समेकन के साथ-साथ पुनः सक्रियण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। व्यापक काअतीत में कंपनी की उत्पाद लाइन।

इस दिशा में, कंपनी उच्च मूल्य के ऑर्डर और अधिक अवसरों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ सहयोग/गठबंधन की निरंतर संभावनाएं तलाश रही है।

संबंधित क्षेत्रों जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर, केबल ब्रिज, एफओबी, आरओबी, औद्योगिक संरचनाओं आदि में विविधीकरण पर काम किया जा रहा है।पूर्ण रूप से गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

मौजूदा ऑर्डर पूरे करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा भविष्य के ऑर्डरों के लिए उनका लाभ उठाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सक्रिय दृष्टिकोण और संभावित चुनौतियों से जोखिम कम करने का अभ्यास किया जा रहा है। आपकी कंपनी भविष्य में उत्पादन और लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार के प्रति आशान्वित है।

5.7.4.3 उच्च मूल्य की निविदाओं के लिए बोली लगाने हेतु निर्माण उद्योग की अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ आपकी कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन/संघ के रूप में रणनीतिक गठजोड़ पर विचार किया जा रहा है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभों का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, यह प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और संघ के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और इसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि होगी।

5.7.5 कंपनी की योजना अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की है, जो इस प्रकार है:

1) ईपीसी व्यवसाय में वृद्धि

ए) संयुक्त उद्यम के माध्यम से: उच्च मूल्य की सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ गठजोड़/ संयुक्त उद्यम (जेवी)।

इस प्रयोजन के लिए, आपकी कंपनी ने क्रमशः आईटीडी सीमेंटेशन और एबीसीआई के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए हैं जो वर्तमान में परिचालन में हैं।

बी) राज्य संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत स्टील पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न खंडों की नई लाइन/दोहरीकरण लाइन परियोजनाओं के निर्माण आदि के लिए रेलवे, आरवीएनएल, इरकॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित भागीदारी।

2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:

पीएमसी व्यवसाय में पीएमसी अनुबंध प्राप्त करने और उन्हें क्रियान्वित करने के अवसरों का विविधीकरण की दिशा में अन्वेषण किया गया है। हाल ही में बीबीजे द्वारा पीएमसी व्यवसाय में एक परियोजना को क्रियान्वित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा की एक पर्याप्त प्रणाली है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। यह यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी लेनदेन सही ढंग से अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किए जाएँ।

5.9 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में विकास।

5.9.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.10 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण:

5.10.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.11 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी :

5.11.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.12 चेतावनी कथन

5.12.1 इस प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्यदर्शी कथन' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध शामिल हैं।

5.12.2 **इस धारा के अंतर्गत सूचना का सामान्य स्रोत निम्नानुसार है:**

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

6.1 आपकी कंपनी को दिनांक 25-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या M-03/0021/2022-23-डीपीई(एमओयू) के तहत समझौता ज्ञापन प्रक्रिया से छूट दी गई है। हालाँकि, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक आंतरिक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7 बोर्ड, समितियाँ और संबंधित जानकारी/प्रकटीकरण

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 बोर्ड और अन्य समिति बैठकों की संरचना, बैठकों की तिथि, उक्त बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सहित अवधि के दौरान बैठकों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत अलग से शामिल किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

7.2.1 दिनांक 31 मार्च 2025 को कंपनी में कार्यरत कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे:-

i कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त) – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार

ii श्री सुजीत कुमार घोष – निदेशक (वित्त)

iii श्री नवीन कुमार मिश्रा – कंपनी सचिव (सीएस)।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन और बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

7.3.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से छूट दे दी है।

7.3.2 भारत सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यकारी बोर्ड सदस्य उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभदायक और उपयोगी रही है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से उन्हें कंपनी के अवलोकन पर एक प्रस्तुति दी जाती है। बोर्ड को एजेंडा पत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्तीय प्रदर्शन, चल रही परियोजनाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संचालन संबंधी मामलों की जानकारी के माध्यम से कंपनी के समग्र मामलों से अवगत कराया जाता है।

7.4 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

(ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

(घ) वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की जाती हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हों तथा प्रभावी रूप से कार्य करें।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 31 मार्च 2025 की स्थिति में दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाएँ, जिसमें धारा 149 के तहत स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी जाने वाली घोषणा भी सम्मिलित है, लागू नहीं होती।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति:

7.6.1 आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षा और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करती रहती है।

7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, बैठकों, उपस्थिति और अन्य विवरणों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

7.6.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग (कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के तहत आवश्यकतानुसार किया गया है।

7.6.4 लेखा परीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत 'लेखा परीक्षा समिति की भूमिका' पर खंड 4.2 के तहत शासित होती हैं।

7.7 संबंधित पक्ष लेनदेन

7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सके।

7.7.2 संबंधित पक्ष के अंतर्गत आने वाले नियमित लेनदेन, यदि कोई हों, तो इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में प्रकट और स्पष्ट किए गए हैं।

7.8 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

7.8.1 भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है।

7.8.2 आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

8 सूचना एवं सतर्कता ढांचा, नीतियां, प्रक्रियाएं:

8.1 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

8.1.1 आपकी कंपनी वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर निगरानी और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में, निर्माण के हर पहलू में सुरक्षा को हर समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप, ISO 9001:2015 के अंतर्गत प्रमाणित है।

8.1.2 वार्षिक आधार पर, गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है तथा इस अवसर पर परियोजना स्थलों पर सुरक्षा की आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए जागरूकता हेतु सुरक्षा के सामान्य दिशानिर्देश पढ़े जाते हैं।

8.2 कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकता है।

8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक कार्यप्रणाली के एक भाग के रूप में किया जाता है, न कि किसी निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में।एक अभिन्न अंग होने के नाते, कार्य करने की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यकता हुई और जरूरी हुआ, जोखिम प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत पहल की गई।

8.3 निगम से संबंधित शासन प्रणाली:

8.3.1 आपकी कंपनी अपने समग्र कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का निरंतर प्रयास करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है, जिसे डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है।

8.3.2 आपकी कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों का समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।

8.4 सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

8.4.1 कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए अच्छी तरह से निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जिसमें व्यावसायिकता, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने के लिए विधिवत अपनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल है।

8.4.2 नीति का उद्देश्य भयमुक्त वातावरण बनाना है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यहाँ उपलब्ध है।https://www.bbjconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf.

8.5 सूचना का अधिकार

8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र है।

8.5.2 वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का उत्तर दिया गया।

8.6 सतर्कता

8.6.1 सुश्री चंद्राणी गुप्ता, आईईएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान सतर्कता गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन किया गया।

8.7 लेखांकन नीति/मानक का पालन

8.7.1 कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों और नियमों के अनुसार तैयार किए गए थे और इसे अपनाने के बाद से उनका पालन किया जा रहा है।

8.7.2 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव निरंतर किया जाता है।

8.8 आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

8.8.1 कंपनी पर्याप्त है कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और शीघ्र वित्तीय रिपोर्टिंग सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और में सुधार अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता।

8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित हो।

8.8.3 कंपनी के बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और उस पर रिपोर्टिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म नियुक्त की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाती है।प्रबंधन को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और लेखा परीक्षा समिति के साथ मिलकर काम किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार समग्र नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाता है।

8.8.4 कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी स्थापित कार्यालय प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं, जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं, जैसे विपणन, खरीद और कार्य, सामग्री, भंडार, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि।

8.8.5 आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय एवं परिचालन प्रणाली के मुद्दों को भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक संरचित बनाया गया है।

8.8.6 प्रबंधन उचित सावधानी बरतता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।

9 लेखा परीक्षकों

9.1 2024-2025 के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

9.1.1 एमएस बाटलीबॉय पुरोहित और दरबारी, सनदी लेखाकार, कोलकाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन303086E), कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9.1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को लेखा टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर भी इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है।

9.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत आवश्यक है कि उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग न की जाए।धारा 143 धोखाधड़ी के संबंध में।

9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ

9.2.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने अपनी दिनांक 31 जुलाई 2024 की टिप्पणी के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण (सप्लीमेंटरी ऑडिट) न करने का निर्णय लिया है। सी एंड ए जी की उक्त टिप्पणी की प्रति कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

9.3.1 सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू/अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है।

10 मानव संसाधन, सीएसआर, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

10.1.1 परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठोर और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

10.1.2 आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन किया गया, और कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारियों को संगठन में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुशल मानव संसाधन प्रणालियों के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई; जिससे कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि हुई और उचित प्रणाली के माध्यम से समझौता ज्ञापन के मानदंडों का उचित ढंग से पालन किया गया।

10.1.3 कर्मचारी से संबंधित किसी भी शिकायत का समय पर समाधान हेतु शिकायत समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों के कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल को ध्यान में रखते हुए, दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों में स्व-शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मॉड्यूल के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में हो रहे नवीनतम रुझानों/तकनीकों और परिवर्तनों से अवगत कराने और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की ताकि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्षमता और उत्साह के साथ कार्य कर सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

10.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व; वर्ष के दौरान की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण

10.2.1 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर निधि और उसके उपयोग का विस्तृत विवरण दिया गया है।

10.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैhttps://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf

10.3 महिला सशक्तिकरण

10.3.1 कंपनी लैंगिक समानता को निरंतर महत्व देती रही है। वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण संबंधी पहलुओं और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों पर महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/वैधानिक प्रावधानों का कंपनी द्वारा पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.4.1 मौजूदा श्रम कानूनों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सम्मिलित वैधानिक कल्याण सुविधाएं, सरकारी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के अलावा, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन/सहायता:

10.5.1 समीक्षाधीन अवधि में कुल खरीद में से अधिकांश एमएसएमई के माध्यम से की गई। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कुछ भी बकाया नहीं रहेगा।

10.5.2 सामाजिक कल्याण संगठनों को चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंदों से सामग्री और सेवाओं की चुनिंदा सोर्सिंग/खरीद के माध्यम से सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।

11 अन्य प्रकटीकरण

11.1 कानूनी अनुपालन

11.1.1 बोर्ड को एजेंडा नोट्स के माध्यम से नियमित आधार पर वैधानिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालनों से अवगत कराया जाता है, जिसमें वैधानिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, यदि कोई हो, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई शामिल है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

11.2.1 कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर गौर करने और स्पष्ट समय सीमा के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने का अधिकार है।

11.2.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : शून्य

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : शून्य

(iii) वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य

11.3 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

11.3.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया गया था, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों और उसके भाग के रूप में नोट्स के अंतर्गत शामिल है।

11.4 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

11.4.1 आपकी कंपनी के पास एक सुस्पष्ट नीतिगत ढाँचा है जो सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नैतिक व्यावसायिक आचरण हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय को नैतिक रूप से और जिम्मेदारी, निष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संचालित करना है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdfसभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए दिनांक 14 मई 2010 को भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी "कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010" के खंड 3.4.2 के अनुसार, मैं यह घोषित करता हूँ कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता के वार्षिक आधार पर पालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09832486

11.5 हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु अपने प्रयास जारी रखा। कुछ प्रमुख अनुपालन इस प्रकार हैं:

- कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।
- त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।
- टीओएलआईसी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया और हिंदी भाषा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- कंपनी में सितंबर, 2024 माह में "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया और इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों के बीच विभिन्न हिंदी कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

11.6 वार्षिक रिटर्न का अंश

11.6.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ विधिवत दायर वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है -https://www.bbjconst.com/financials.html उपर्युक्त प्रथम पैरा में वर्णित प्रावधानों के मद्देनजर, फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में 'वार्षिक रिटर्न का उद्धरण' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रदर्शन

11.7.1 भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नामित निदेशक की स्थिति 'निष्क्रिय' होने के बाद, बीबीजे द्वारा अपने निदेशक के लिए या तो दोष को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन के लिए एसोसिएशन के लेखों और संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में निदेशकों का नया नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। कई अनुस्मारक के बावजूद, जीआईएल द्वारा निदेशकों का कोई सुधार या नया नामांकन नहीं किया गया है। इस कारण से, निदेशकों या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध है क्योंकि बोर्ड या शेयरधारकों की उक्त बैठकें आयोजित करने के लिए कोई कोरम नहीं है। इस संबंध में कोई नई प्रगति नहीं हुई है।

11.7.2 उक्त गतिरोध के कारण फॉर्म संख्या 22ए, सक्रिय दाखिल नहीं किया जा सका और इसलिए, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुपालन वाली है।

11.7.3 बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका आधार दूसरे हुगली पुल के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया, जिसके लिए इसे निगमित किया गया था। वर्तमान में, बीबीसीसीपीएल में कोई कर्मचारी नहीं है।

11.7.4 भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा समापन आदेश पारित होने के बाद परिसमापन के अधीन है। परिसमापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

11.7.5 बंद पड़े संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण:

11.8.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम से, ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रणाली की समय-समय पर जाँच की जा रही है और विभिन्न स्थानों पर परियोजना स्थलों पर कार्यरत संयंत्रों से कार्बन एवं अन्य गैसों के उत्सर्जन के स्तर की निगरानी हेतु नीति बनाई जा रही है।

11.8.1.2 अपने संसाधनों के सीमित उपयोग, अनुबंधों की प्रकृति और विभिन्न स्थलों पर चल रही परियोजनाओं की अल्प अवधि के कारण, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है।ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश उक्त स्थलों पर फिलहाल यह संभव नहीं है। हालाँकि, इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भविष्य में इसे व्यवहार्य तरीके से लागू किया जा सकेगा।

11.8.1.3 सभी नई निर्माण परियोजनाओं में सर्वोत्तम उपलब्ध बिजली बचत तकनीकों को अपनाकर ऊर्जा की खपत को न्यूनतम करने पर ज़ोर दिया जा रहा है, एलसीडी से एलईडी लाइटिंग पर स्विच करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, अधिकांश परियोजनाएँ ऊर्जा मानदंडों के अनुरूप हैं, और उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण ऊर्जा कुशल हैं।

11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और उसके सभी लोगों के लिए पर्यावरण-अनुकूल बनी रही। संबंधित कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए प्राधिकारियों या नियामकों से कभी कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

11.8.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण:

11.8.2.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान, शुरुआत से पीछे की ओर गणना की गई वित्तीय वर्ष 2024-2025 के कंपनी द्वारा कोई प्रौद्योगिकी आयात नहीं की गई थी।

11.8.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन को नई तकनीकों और उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान की जा रही है ताकि वे उनका उपयोग कर सकें। नई और नवीन तकनीकों पर प्रस्तुतियाँ आयोजित की जा रही हैं। कार्य की पारंपरिक प्रकृति, लागत और आकार संबंधी बाधाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण, कंपनी वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ नहीं कर रही है।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं किया गया।

12 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित अन्य प्रकटीकरण:

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1)	कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों।	शून्य
2)	एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य निष्पादन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई भी परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयरों का निर्गम	शून्य
7)	डिबेंचर, बांड या किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
8)	वारंट जारी करना	शून्य
9)	जमा राशि का विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	पिछले सात वर्षों में कोई भी लाभांश अप्रदत्त नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;	शून्य
12)	उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या नहीं रह गई हैं;	शून्य
13)	अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण	शून्य
14)	उन जमाओं का ब्यौरा जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं;	शून्य

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
15)	नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।	शून्य

पावती

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट के दौरान कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता संगठन को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी।

बीबीजे को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि से भरपूर समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सभी हितधारकों, विशेषकर आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यावसायिक भागीदारों ने संगठन की सफलता के लिए जबरदस्त समर्थन दिया है।

निदेशकगण यह आश्वासन देते हैं कि वे आपकी कंपनी की रणनीतिक योजनाओं पर निरंतर केंद्रित रहते हुए इसे उत्तरदायी रूप से उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09832486

दिनांक: 20 अगस्त, 2025
कोलकाता

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

<table>
<tr><td>कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का सिद्धांत</td><td>कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी के सिद्धांत का उद्देश्य दीर्घकालिक शेयरधारकों के मूल्य और कंपनी की संपत्ति बनाने की क्षमता को बढ़ाना है:

अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना
कंपनी के सभी निर्णयों और गतिविधियों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना
प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुपालन का पालन करना
कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना:

कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन करना और जहाँ तक संभव हो, उत्कृष्टता प्राप्त करना
कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानक स्थापित करना
आगे सुधार के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करना

</td></tr>
<tr><td>निदेशक मंडल</td><td>कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है:</td></tr>
<tr><td>बोर्ड संरचना</td><td>
<table>
<tr><th>निदेशकों का डीआईएन</th><th>नाम</th><th>वर्ग</th></tr>
<tr><td>09832486</td><td>कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)</td><td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी)/ अतिरिक्त प्रभार</td></tr>
<tr><td>09222808</td><td>श्री उदय भान सिंह</td><td>उप सचिव – एमएचआई
(सरकार द्वारा नामित निदेशक)</td></tr>
<tr><td>09614219</td><td>श्री सुजीत कुमार घोष</td><td>निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
</table>
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें 31 मार्च, 2025 के बाद से रिपोर्ट की तिथि तक की अवधि शामिल है:
<table>
<tr><td>श्री राजीव कुमार सिंह 31.01.2025 को बीबीजे के निदेशक तकनीकी के पद से सेवानिवृत्त हुए।
श्री उदय भान सिंह, उप सचिव - एमएचआई को 27.02.2025 से श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।
बीबीजे में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला देवी का कार्यकाल 14.02.2025 को समाप्त हो गया।
भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संदर्भ संख्या 12 (2) / 2022.पीई.III दिनांक 06 जून 2024 के अनुसार, श्री सुजीत कुमार घोष को 07.06.2024 से प्रभावी रूप से द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।
भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश के अनुसार संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 08 जुलाई 2025 के अनुसार श्री नरेश कुमार को 14.07.2025 से द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।</td></tr>
</table>
कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत पदों में से 2 पद रिक्त हैं।</td></tr>
</table>

आयोजित बैठकें (बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति)

	बैठक संख्या एवं बैठक की तिथि	निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें	167वीं बोर्ड बैठक 28-06-2024 को	सभी ने भाग लिया
	168वीं बोर्ड बैठक 08-08-2024 को	सभी ने भाग लिया
	169वीं बोर्ड बैठक 03-12-2024 को	सभी ने भाग लिया
	170वीं बोर्ड बैठक 21-03-2025 को	सभी ने भाग लिया
लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	73वीं बोर्ड बैठक 28-06-2024 को	सभी ने भाग लिया
	74वीं बोर्ड बैठक 08-08-2024 को	सभी ने भाग लिया
	75वीं बोर्ड बैठक 03-12-2024 को	सभी ने भाग लिया
	76वीं बोर्ड बैठक 21-03-2025 को	सभी ने भाग लिया
	बोर्ड ने सरकार द्वारा नामित निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित कुल 2 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती।	

लेखा परीक्षा समिति

भूमिका और संदर्भ की शर्तें:	● सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के पैरा 4.2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट मामलों में भाग लेना।
	● प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना
	● वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और जोखिम संबंधी मामलों का आकलन करना

संरचना, बोर्ड बैठकें और उपस्थिति

निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	
कमोडोर राकेश छिल्लर	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04
श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04
श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01

संरचना, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति	
श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित – 03
श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित – 01
श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -01	उपस्थित – 01

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थीं, निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई।

बोर्ड ने सरकार द्वारा नामित निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित कुल 2 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है।

यह पुनर्गठन एमएचआई से स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन प्राप्त होने तक जारी रहेगा।

<table>
<tr><td>सीएसआर और अन्य समिति की बैठकें</td><td colspan="4">वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एक बैठक अर्थात 13वीं सीएसआर समिति की बैठक 21 मार्च 2025 को आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।</td></tr>
<tr><td>स्वतंत्र निदेशक</td><td colspan="4">स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकारी आदेशों द्वारा की जाती है, जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/अनुभव होता है। स्वतंत्र निदेशक न तो प्रवर्तकों से जुड़े होते हैं और न ही उनसे संबंधित होते हैं, और न ही उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध होता है, और इसके अलावा, कंपनी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा उनके पास नहीं होता है।

कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा लागू नहीं होती है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक फीस कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।</td></tr>
<tr><td>आचार संहिता</td><td colspan="4">बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित आचार संहिता का मसौदा लागू कर दिया गया है।
डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के खंड 3.4.2 के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा यह घोषणा कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग के तहत दी गई है।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण</td><td>अंतिम वर्ष</td><td>बैठक संख्या और तिथि</td><td>समय और स्थान</td><td>विशेष संकल्प</td></tr>
<tr><td>2021-2022</td><td>36वीं एजीएम,
30 सितंबर, 2022</td><td>15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2022-2023</td><td>37वीं एजीएम,
30 सितंबर, 2023</td><td>11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>38वांएजीएम,
31 अगस्त, 2024</td><td>11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल में</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td colspan="4">सभी वार्षिक आम बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गईं।</td></tr>
<tr><td>वार्षिक आम बैठक - 2025</td><td colspan="4">39वांकंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात सितंबर 2025 के भीतर आयोजित की जानी है।</td></tr>
</table>

अन्य खुलासे	निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ भौतिक प्रकृति के लेन-देन जो कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकते हैं	शून्य
	संबंधित पक्ष लेनदेन	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से संलग्न, प्रकटित
	कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन या उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण	शून्य
	व्हिसल ब्लोअर नीति और यह पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था
	इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण	1 अनुपालन किया गया। 2 कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के लिए स्वीकृत पदों में से 2 पद रिक्त हैं।
	वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण	अनुपालन हेतु कोई निर्देश लंबित नहीं हैं
	लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय की मदें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं	शून्य
	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय	शून्य
संचार के साधन	एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के कारण, तिमाही परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं पत्राचार के लिए पता: दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,27, राजेंद्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001 वेबसाइट:www.bbjconst.com ई-मेल: info@bbjconst.com टेलीफ़ोन: 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स) 91 33 2210 3961 (फैक्स)	
लेखापरीक्षा योग्यताएं	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर भी इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।	
प्रशिक्षण	बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा कंपनी द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।	
कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षा	कॉर्पोरेट प्रशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।	

कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है (जिसे आगे "दिशा-निर्देश" कहा गया है)।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण केवल उन प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रहा, जिन्हें कंपनी ने दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर किसी प्रकार की राय व्यक्त करता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए सनदी लेखाकारी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404
यूडीआईएन : 2506340YBMJMIF8820
सनदी लेखाकार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जून 2025

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित अनुलग्नक-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

   कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, सितंबर, 2012 में आयोजित बोर्ड बैठक में पहली बार सीएसआर नीति को मंजूरी दी और इसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामलों में समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

   - सीएसआर परियोजना की योजना
   - आधारभूत सर्वेक्षण
   - कार्यान्वयन की प्रक्रिया
   - कार्यान्वयन एजेंसी के लिए वित्तपोषण, निगरानी और योग्यता मानदंड
   - स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निधि में योगदान भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

   सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1.	श्री उदय भान सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: वित्त वर्ष 2024-25 में 1 (एक) सीएसआर समिति की बैठक आयोजित की गई

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है

21-03-2025 को आयोजित 12वें सीएसआर समिति की बैठक में निम्नलिखित सभी सदस्यों ने भाग लिया:

क्र. सं.	नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1.	श्री उदय भान सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई हों।

   - वेब-लिंक: https://bbjconst.com/rti.html

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

   - लागू नहीं।

5. कंपनियों (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा यदि कोई हो, तो संबंधित वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि का विवरण।

- लागू नहीं।

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ (लाख रुपये)
2021-22	494.13
2022-23	1309.43
2023-24	2795.32
औसत शुद्ध लाभ	**1532.96**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

30.66 लाख रुपये (जो वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है)

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

कोई नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो

कोई नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल सीएसआर दायित्व है **30.66 लाख रुपये**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययि राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि। (रुपये में)		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि। (रुपये में)		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
30.66 लाख* *(वित्त वर्ष 2024-25)*	***शून्य***		***पीएम केयर्स फंड***	***30.66 लाख***	***27.03.2025*** (वित्तीय वर्ष 2024-25)

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) (रुपये में) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्त वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि- लागू नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो- लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)- लागू नहीं

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो- लागू नहीं

क्र. सं.	विशिष्ट	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	***30.66 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2024-25)***
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि *	***30.66 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2024-25)***
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
शून्य							

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा: **लागू नहीं**

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। **(परिसंपत्ति-वार विवरण)- शून्य**

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि- शून्य

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि- शून्य

(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-शून्य

(घ) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) - शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

- उपरोक्त बिन्दु 6 के मद्देनजर लागू नहीं।

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

दिनांक: 20 अगस्त-2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुपालन हेतु, दिनांक 25 जून, 2025 की पूर्व रिपोर्ट के स्थान पर तैयार की गई है।

योग्य राय

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और उस वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण, और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणी, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के "योग्यता युक्त मत के आधार" अनुभाग में वर्णित विषय के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनियाँ अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी अपेक्षित रूप में प्रदान करते हैं और भारतीय लेखा मानकों (जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ("भारतीय लेखांकन मानक") के साथ पठनीय हैं) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की स्थिति 31 मार्च 2025 को, उसके लाभ (जिसमें अन्य समग्र आय शामिल है), नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. *नोट संख्या 7 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), जो कि कंपनी की एक सहायक कंपनी है, को दिया गया ₹5932.96 लाख (31 मार्च 2024 को ₹5932.96 लाख) का ऋण तथा ₹33656.29 लाख (31 मार्च 2024 को ₹33656.29 लाख) की अर्जित ब्याज राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की एक अन्य सहायक इकाई वे बर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्लूआईएल) को दिया गया ₹656.03 लाख (31 मार्च 2024 को ₹656.03 लाख) का ऋण तथा ₹350.26 लाख (31 मार्च 2024 को ₹350.26 लाख) की अर्जित ब्याज राशि भी शामिल है। नोट संख्या 16 के अनुसार, उधारियों में भारत सरकार से प्राप्त ₹6588.99 लाख (31 मार्च 2024 को ₹6588.99 लाख) का ऋण शामिल है और नोट संख्या 20 के अनुसार, अन्य वित्तीय दायित्वों में उपरोक्त भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज ₹34006.55 लाख (31 मार्च 2024 को ₹34006.55 लाख) शामिल है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीपीएमईएल वर्ष 2004 से परिसमापन की प्रक्रिया में है और कंपनी की स्वीकृत दावा राशि ₹39898.01 लाख (31 मार्च 2024 को ₹39898.01 लाख) है, जबकि डब्लूआईएल का परिसमापन सभी कार्यवाहियों की समाप्ति के उपरांत वर्ष 2020 में पूर्ण हो गया था।*

उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, उक्त ऋणों एवं अर्जित ब्याज को, जो कि भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अर्जित ब्याज के समतुल्य हैं, लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। चूंकि इस वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इन ऋणों एवं अर्जित ब्याज पर हानि भत्ते (लॉस अलाउंस) के मूल्यांकन एवं प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है, अतः इसका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशेष वित्तीय प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है।

2. *नोट संख्या 7 "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ" के अंतर्गत लेनदारों को अग्रिम के रूप में ₹571.56 लाख (31 मार्च 2024 को ₹571.56 लाख) विभिन्न पक्षों को दिया गया है, जिनके विरुद्ध ₹885.25 लाख (31 मार्च 2024 को ₹885.25 लाख) की एक संबंधित देनदारी वर्तमान में प्रचलित है। कंपनी ने इन राशियों को पुनः प्राप्ति योग्य (गुड) माना है और वर्ष के दौरान इनमें कोई समायोजन नहीं किया गया है। चूंकि लेनदारों को अग्रिम तथा संबंधित देनदारियों के समायोजन अभी लंबित हैं, अतः इनका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव ज्ञात नहीं हो सका है।*

3. *नोट संख्या 5 "निवेश" के अंतर्गत भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), जो कि पूर्व में कंपनी की सहायक कंपनी थी, में ₹486.30 लाख (31 मार्च 2024 को ₹486.30 लाख) तथा जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में ₹2558.01 लाख (31 मार्च 2024 को ₹2558.01 लाख) का निवेश शामिल है। ये दोनों कंपनियाँ वर्तमान में परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उपरोक्त संस्थाओं की रिपोर्टिंग तिथि पर स्थिति के बावजूद, इन निवेशों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष के दौरान इन निवेशों के मूल्य में ह्रास का कोई मूल्यांकन अथवा उसके अनुसार कोई प्रावधान वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है, अतः इनका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव ज्ञात नहीं हो सका है।*

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी् में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. टिप्पणी संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ-चालू में ₹26.21 लाख (31 मार्च 2024 ₹26.21 लाख) के अन्य अग्रिम शामिल हैं, जिनमें ₹1,000,000 शामिल हैं। बिक्री कर अपील के लिए जमा राशि 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2024 को 15.76 लाख रुपये) और वेतन अग्रिम के रूप में शेष 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2024 को 10.45 लाख रुपये) का समायोजन किया जा रहा है।

2. टिप्पणी संख्या 13 अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल करना संवैधानिक प्राधिकारियों के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा किए गए ₹21.84 लाख (31 मार्च 2024 तक ₹21.84 लाख) बहुत पुराने हैं। कंपनी इनका समाधान और समायोजन करने की प्रक्रिया में है।

3. टिप्पणी संख्या 58, कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, जो एक सहायक कंपनी है, जो परिसमापन के अधीन है और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) एक सहायक कंपनी है, जिसे वसूली न हो पाने के मद्देनजर 07 फरवरी 2020 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के

आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है, दोनों को दिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है।

इसके अलावा, कंपनी ने देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है।वर्तमान के लिए वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋण पर, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।

4. टिप्पणी संख्या 54 के अनुसार, संबंधित सहायक अभिलेखों में दर्शाए गए शेषों के अनुसार, पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं। हालांकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं होंगी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

"अन्य सूचना"

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को समाहित नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को

समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्वतंत्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा

उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक -क" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, सिवाय योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर;

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं;

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ें, जैसा कि योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर संशोधित किया गया है;

   (ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2025 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है;

   (च) कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक-ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है;

   (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित

किया गया है:

i. कंपनी ने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है, स्वतंत्र वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 31 और टिप्पणी 43 देखें;

ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध किए हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक दीर्घकालिक अनुबंधों के अधूरे हिस्से पर ₹362.38 लाख की अनुमानित हानि दर्ज की है। कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(स) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (अ) और (ब) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. दौरान वर्ष कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित और भुगतान किया है और यह अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर पूरे वर्ष एप्लिकेशन में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए काम करता रहा है। हमारी ऑडिट के दौरान, हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला है।एक ऑडिट का लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है, जिस सीमा तक इसे पिछले वर्ष में सक्षम और रिकॉर्ड किया गया था।

(ज) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार तथा दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम संलग्न अनुबंध "ग" में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 05 अगस्त 2025

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमारी जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई व्याख्याओं और ऑडिट की सामान्य प्रक्रिया के दौरान परीक्षित लेखा बहियों एवं अभिलेखों के आधार पर, हम यह घोषित करते हैं कि:

I. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा किया गया तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि केवल वर्ष के दौरान की गई नई खरीद के मामलों को छोड़कर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) भवन में स्थायी संरचनाएँ शामिल हैं जिनकी कीमत ₹131.46 लाख (पिछले वर्ष ₹131.46 लाख) है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) से लाइसेंस/ किराया समझौते के तहत प्राप्त सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता स्थित भूमि पर है। कंपनी नियमित रूप से किराया भुगतान करती है। लेकिन एक प्रति हमारे सत्यापन के लिए विलेख/ समझौते का विवरण हमें प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

II (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों द्वारा मंजूर/नवीनीकृत की गई है, जो कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की गारंटी के आधार पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा उन बैंकों के साथ दायर की गई त्रैमासिक रिपोर्ट या विवरण कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप हैं

III. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलटीपी) या अन्य पक्षों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या ऋण या अग्रिम राशि, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं की है। इसलिए, आदेश का खंड 3(iii) लागू नहीं होता है।

IV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय में, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है और कोई प्रतिभूति नहीं दी है जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों। इसलिए, आदेश का खंड 3 (iv) लागू नहीं होता।

V. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के भीतर जमा मानी जाने वाली कोई जमा राशि या राशि स्वीकार नहीं की है या धारण नहीं कर रही है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

VI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

VII. वैधानिक बकाया के संबंध में:

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया से संबंधित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। कुछ मामलों में देरी को छोड़कर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2025 तक उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवाय नीचे बताए गए को छोड़कर।

क्र.सं	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रूपये में)	वह अवधि जिससे यह संबंधित है (वित्तीय वर्ष)
1	वृत्ति कर	0.66	पुराना बकाया
2	स्रोत पर एकत्रित कर	0.16	
3	देय सेवा कर (बीबीयूएनएल)	1.94	
4	स्रोत पर कर कटौती	1.45	
5	बिक्री कर	1.54	
6	आयकर	4.57	2006-07
7	आयकर	2.35	2008-09
8	आयकर	0.08	2012-13

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और अभिलेखों के आधार पर, जैसा भी लागू हो, नीचे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, भविष्य निधि के बकाया का विवरण दिया गया है, जो विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है और वह फोरम जहां विवाद लंबित है:

क्र. सं.	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित/खारिज किया गया है	मात्रा (लाख रुपये में)
1	डब्ल्यू.बी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2011-12	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2010-11	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	33.25
3	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2011-12	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर मांग, धारा 75 के तहत उस पर ब्याज (योग्य नहीं राशि) और लगाया गया जुर्माना	2007-08 से 2011-12	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	154.45

क्र. सं.	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित/खारिज किया गया है	मात्रा (लाख रुपये में)
5	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952	देय क्षतिपूर्ति/ब्याज	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने मांग प्रस्तुत की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील दायर की है। मांग राशि ₹96.10 लाख है और बीबीयूएनएल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास ₹41.96 लाख की निधि है।	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य अनुबंध कर	2004-05	वाणिज्यिक कर विभाग	19.36
7	बिहार जीएसटी	टीआरएएन 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय न्यायाधिकरण	12.55
8	डब्ल्यू.बी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2016-17	अपीलीय प्राधिकारी	0.21
9	आयकर	आयकर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
10	आयकर	आयकर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	0.96
11	आयकर	आयकर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	69.95
12	आयकर	आयकर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	285.31
13	आयकर	आयकर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	66.80
14	आयकर	आयकर मांग	1999-20	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	58.67
15	आयकर	आयकर मांग	2014-15	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	4.94
16	छत्तीसगढ़ जीएसटी	अतिरिक्त आईटीसी का दावा	2019-2020	संयुक्त आयुक्त	5.15

VIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

IX. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने बैंकों से लिए गए ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, जुटाई गई धनराशि एक छोटी सी बात पर अवधि के आधार पर नहीं किया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालीन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

X. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XI. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

XII. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा संबंधित पक्षों के लेनदेन का ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

XIV. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने वर्ष के दौरान और हमारे ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया है।

XV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत

पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XVII. कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

XVIII. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

XIX. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

XX (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) कंपनी के पास कोई चालू परियोजना नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

बाटलीबॉय, पुरोहित एवं दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 05 अगस्त 2025

अनुलग्नक - "ख"

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख"

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित "स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों" के आधार पर स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे इस प्रकार निष्पादित करना होगा कि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे लेखापरीक्षा में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी का स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन, जिसका स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

यह हमारे विचार में, हमारे पास उपलब्ध जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह आकलन कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शक नोट" में बताए गए नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 05 अगस्त 2025

अनुलग्नक - "ग"

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर सम संख्या की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के निर्देश, जो वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
(I) लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) का भी उल्लेख किया जाए।	कंपनी टैली प्राइम नामक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है और स्टॉक को छोड़कर सभी अकाउंटिंग लेनदेन इसके माध्यम से संसाधित करती है, जिसका लेखा मैन्युअल रूप से किया जाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे उपरोक्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी अकाउंटिंग लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।
(II) ऋण पुनर्गठन क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।
(III) सरकारी निधि/अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि न प्राप्त हुई/ न ही प्राप्त होने वाली थी।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 05 अगस्त 2025

लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
	योग्य राय	
1	नोट संख्या 7 में वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी को 5932.96 लाख रुपये का ऋण (31 मार्च 2024 5932.96 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज 33656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024 33656.29 लाख रुपये) और कंपनी की सहायक कंपनी वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) को 656.03 लाख रुपये का ऋण (31 मार्च 2024 656.03 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2024 350.26 लाख रुपये) शामिल हैं। नोट संख्या-16, उधार में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) का ऋण शामिल है और नोट संख्या 20, अन्य वित्तीय देनदारियों में भारत सरकार के ऋणों पर देय ब्याज 34006.55 लाख रुपये (31 मार्च 2024 34006.55 लाख रुपये) शामिल हैं। बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है और कंपनी के स्वीकृत दावे 39898.01 लाख रुपये (31 मार्च 2024 39898.01 लाख रुपये) हैं और सभी परिसमापन कार्यवाही पूरी होने के बाद 2020 में डब्ल्यूआईएल भंग हो गई। उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, इस तथ्य के आधार पर कि उक्त सहायक कंपनियों को देय ऋण ब्याज सहित और भारत सरकार से ऋण उपार्जित ब्याज सहित समान हैं, कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार इन्हें लागत पर वहन किया गया है। चूंकि वर्ष के वित्तीय विवरण में ऋणों और उपार्जित ब्याज की हानि भत्ते के लिए कोई आकलन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय प्रभाव अनिश्चित है।	बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजनागत और गैर-योजनागत उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण, संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरित करने के लिए बीबीयूएनएल (पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, उसे भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की संगत राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। सहायक कंपनियों को ऐसे ऋणों को लागत पर देने का संबंध कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 17 पर आधारित है और वर्षों से इसका निरंतर पालन किया जा रहा है।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
2	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, लेनदारों को अग्रिम राशि में विभिन्न पक्षों को ₹571.56 लाख (31 मार्च 2024 को ₹571.56 लाख) शामिल हैं, जिसके सापेक्ष ₹885.25 लाख (31 मार्च 2024 को ₹885.25 लाख) की देयता आज की तिथि तक बनी हुई है। कंपनी ने इसे अच्छा माना और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया। लेनदारों को अग्रिम राशि और संबंधित देयताओं के साथ ऐसे लंबित समायोजनों के कारण, वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देयताओं/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव अनिश्चित है।	इस तरह के अग्रिम विभिन्न पक्षों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए थे और उनके बिल आज तक असमायोजित हैं। जिन मामलों में अनुबंधों के विरुद्ध ऋण शेष असमायोजित पड़े हैं, उन्हें तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए और शेष राशि की वसूली हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी वसूली न होने या किसी लंबित समायोजन की स्थिति में, मामले-दर-मामला आधार पर उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
3	नोट संख्या 5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में 486.30 लाख रुपये (31 मार्च 2024 486.30 लाख रुपये), जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये (31 मार्च 2024 2558.01 लाख रुपये) शामिल हैं, दोनों परिसमापन के अधीन हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, कहा गया निवेश लागत पर किया गया है। चूंकि वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।	सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा 17 के अनुसार लागत पर वहन किए जाते हैं। पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) ने निर्दिष्ट सहायक कंपनियों में संबंधित निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी इक्विटी फंड से ऐसी सहायक कंपनियों में निवेश किया था। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे निवेशों के प्राप्ति योग्य मूल्य में किसी भी अंतर की स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, कंपनी अपनी लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन करेगी।
	विषय का महत्व	
1	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-चालू में 26.21 लाख रुपये (31 मार्च 2024 26.21 लाख रुपये) के अन्य अग्रिम शामिल हैं, जिसमें बिक्री कर अपील के लिए जमा करने के लिए 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2024 15.76 लाख रुपये) और वेतन अग्रिम के रूप में 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2024 10.45 लाख रुपये) का शेष शामिल है, जिसका समाधान किया जा रहा है।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 49 में दी गई है। कंपनी ऐसे सभी अग्रिमों की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, इसकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
2	नोट संख्या 13 अन्य वर्तमान संपत्तियों में सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा 21.84 लाख रुपये (31 मार्च 2024 रु.21.84 लाख) शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। कंपनी इसे समायोजित करने के लिए सुलह की प्रक्रिया में है।	ऐसी जमाओं की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 50 में दी गई है। कंपनी ऐसी सभी जमाओं की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, उनकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
3	नोट संख्या 58 के अनुसार, कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, जो एक सहायक कंपनी है और परिसमापन के अधीन है, तथा वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (WIL), जो एक सहायक कंपनी है, जिसे वसूली न हो पाने के मद्देनजर 07 फरवरी, 2020 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है, दोनों को दिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋणों पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। साथ ही, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋणों पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।	बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना उद्देश्य के लिए भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, इसे भारत सरकार को उनके उचित निर्देशों के साथ देय ऋण और ब्याज की राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। चूँकि सहायक कंपनियाँ परिसमापन/बंद होने के अधीन हैं, ऐसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज को पुस्तकों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए सहायक कंपनियों से ब्याज की वसूली अनिश्चित है।
4	नोट संख्या 54 प्रासंगिक सहायक अभिलेखों में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई भी। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं होंगी।	कुछ पार्टियों से पुष्टि प्राप्त हो चुकी है और लेखा परीक्षकों को दिखाई जा चुकी है। हालाँकि, लेखा परीक्षकों की उक्त टिप्पणी को आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

ब्रैथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है, जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। यह कार्य उन्होंने अपने दिनांक 05 अगस्त 2025 के संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो कि उनके पूर्व दिनांक 25 जून 2025 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरस्त करता है, में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत ब्रैथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक कोई पहुँच नहीं रही है, तथा यह मुख्यतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक सीमित रहा है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संशोधन कर, मेरे पूरक लेखा परीक्षण के दौरान उठाए गए कुछ लेखा परीक्षण अवलोकनों को सम्मिलित किया गया है। अतः, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर मुझे कोई अतिरिक्त टिप्पणी या परिशिष्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(यशोधरा राय चौधरी)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांकः 12 अगस्त 2025

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	**490.56**	**572.94**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	**3.94**	**8.47**
पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन	4	**-**	**-**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	5	**3,179.16**	**3,174.47**
व्यापार प्राप्तियां	6	**-**	**-**
अन्य	7	**4,839.82**	**5,457.91**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ शुद्ध	8	**719.82**	**639.15**
		9,233.30	**9,852.93**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
भंडार	9	**2,802.85**	**3,853.50**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियां	6	**1,987.61**	**2,343.28**
नकद और नकद के समतुल्य	10	**5,190.80**	**2,280.41**
अन्य बैंक बैलेंस	11	**13,945.21**	**13,695.70**
अन्य	7	**43,579.61**	**43,769.24**
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	12	**-**	**456.29**
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	**6,245.06**	**982.49**
		73,751.14	**67,380.91**
कुल परिसंपत्तियाँ		**82,984.44**	**77,233.83**
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	14	**12,086.05**	**12,086.05**
अन्य इक्विटी	15	**14,291.54**	**11,644.53**
कुल इक्विटी		**26,377.59**	**23,730.58**
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	**192.11**	**217.92**
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**69.89**	**121.49**
व्यापार देयताएँ	19		

	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		**323.96**	**323.55**
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		**-**	**-**
प्रावधान	17	**418.34**	**441.98**
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	**4,135.28**	**4,156.89**
		5,139.58	**5,261.82**
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	16	**6,589.00**	**6,589.00**
पट्टा देयताएँ		**-**	**-**
व्यापार देयताएँ	19	**-**	**-**
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		**499.00**	**501.04**
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		**-**	**-**
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**38,233.69**	**38,369.00**
अन्य वर्तमान देयताएँ	18	**6,013.08**	**2,701.14**
वर्तमान कर देयताएँ	21	**90.98**	**-**
प्रावधान	17	**41.52**	**81.26**
		51,467.27	**48,241.43**
कुल देयताएँ		**56,606.85**	**53,503.26**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**82,984.44**	**77,233.83**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
तारीख: 25 जून 2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व	22	18,276.59	25,010.37
अन्य आय	23	1,301.48	1,064.61
कुल आय		**19,578.07**	**26,074.99**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	556.02	6,449.10
भंडार और प्रगतिधीन कार्य में परिवर्तन	25	959.74	536.78
उप-अनुबंध और अन्य रूपांतरण शुल्क	25A	9,879.07	10,644.07
भंडार, पुर्जों और ढीले औजारों की खपत	25B	80.79	453.02
कर्मचारी हित व्यय	26	2,350.97	3,325.23
वित्त लागत	27	50.84	69.29
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	119.49	149.72
अन्य खर्चे	29	1,572.51	1,652.45
कुल खर्च		**15,569.43**	**23,279.67**
कर से पहले का लाभ		4,008.63	2,795.32
कर व्यय			
वर्तमान कर	30	1,029.68	730.29
आस्थगित कर	30	(80.67)	1.99
कुल कर व्यय		949.01	732.29
वर्ष के लिए लाभ		**3,059.62**	**2,063.03**
अन्य व्यापक आय			
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	30	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**3,059.62**	**2,063.03**
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 रुपये का नाममात्र मूल्य) रुपये में	37		
मूल		**253.15**	170.70
तनुकृत		**253.15**	170.70
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को नकदी प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले का लाभ	4,008.63	2,795.32
कर-पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समायोजन:		-
मूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास	113.53	142.33
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	5.96	7.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	(4.67)	(2.03)
बैंक और सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	(1,245.64)	(962.73)
आस्थगित परिसंपत्तियां	-	(19.29)
निवेश हानि	-	0.30
वित्त लागत	50.84	69.29
सरकारी अनुदान से आबंटित आय	-	-
ब्याज आय	(4.69)	(4.47)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**2,923.96**	**2,026.11**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियां	355.67	433.35
भंडार	1,050.65	816.21
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	593.80	569.66
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(5,262.57)	451.08
परिचालन देनदारियाँ में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		-
व्यापार देनदारियाँ	(1.64)	(2,070.67)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(186.91)	330.53
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	3,311.94	672.52
प्रावधान	(63.37)	33.18
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**2,721.53**	**3,261.97**
आयकर का भुगतान	(482.42)	(593.53)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	**2,239.11**	**2,668.44**
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(34.76)	(47.64)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) का निपटान	6.86	2.06
(निवेश)/ विमोचन बैंकों में 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं का	(249.51)	(5,451.59)
प्राप्त ब्याज	1,245.64	962.73
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक हो	213.92	1,697.71
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**1,182.15**	**(2,836.72)**

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती), शुद्ध	(47.42)	(411.99)
अल्पकालिक उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती), शुद्ध	-	-
ब्याज का भुगतान किया	(50.84)	(69.29)
अंतिम लाभांश	(412.61)	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी	**(510.87)**	**(658.46)**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (I+II+III)	2,910.39	(826.74)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,280.41	3,107.15
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे टिप्पणी देखें)	**5,190.80**	**2,280.41**

टिप्पणी:
नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं:

हाथ में नकद	2.17	2.57
बैंकों मे नकद :		-
- चालू खातों पर	324.29	229.65
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में	4,864.34	2,048.19
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	5,190.80	**2,280.41**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(शेयर डेटा को छोड़कर और जहां अन्यथा कहा गया हो, सभी राशि भारतीय रुपये में लाख)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आवंटन लंबित	इक्विटी शेयर जमा का पुनर्गठन	प्रारक्षित और अधिशेष				कुल
			पूंजी प्रारक्षित	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र रिडेम्शन रिजर्व	
31 मार्च 2023 तक	-	-	0.06	1,473.65	8,181.29	103.66	9,758.66
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	2,063.03	-	2,063.03
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण					12.50	(12.50)	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(177.17)	-	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-		-	-
अन्य व्यापक आय							
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/(हानि) का पुनर्मापन	-	-	-	-		-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**0.06**	**1,473.65**	**10,079.66**	**91.16**	**11,644.53**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	3,059.62	-	3,059.62
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(412.61)	-	(412.61)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-			-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण					12.50	(12.50)	-
अन्य व्यापक आय							
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/(हानि) का पुनर्मापन, कर के बाद निवल	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	**-**	**-**	**0.06**	**1,473.65**	**12,739.17**	**78.66**	**14,291.54**

सामग्री लेखांकन नीतियाँ 1

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. कंपनी ओवरव्यू :

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है (CIN: U70100WB1986GOI041286)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता - 700001 है। कंपनी मुख्य रूप से निर्माण कार्य सहित निर्माण इंजीनियरिंग के व्यवसाय में संलग्न है।

ख. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान का अनुपालन करते हैं।

2. तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार, कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय अन्यथा उल्लिखित के।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 "नकदी प्रवाह विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण की मदों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले टिप्पणियां के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. कार्यात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। किसी इकाई की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा होती है जिसमें वह इकाई संचालित होती है।

भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो।

5 परिचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियां को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

<u>परिसंपत्तियाँ:</u>

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है, या यह बिक्री या उपभोग के लिए है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसकी प्राप्ति की उम्मीद है; या

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक इसे विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

देनदारियां:

किसी देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना है; या

घ) कंपनी को रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा निपटान में परिणत हो सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं में क्रमशः गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्तमान भाग शामिल होता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर - वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियां, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियां व आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिचालन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में जो प्रभावित होती है। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों और/या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल की जाती है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान - आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान किस सीमा तक की जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि के सूचकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन आवश्यक है, जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, अपेक्षित अवधि में देखी गई ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

प्रावधान - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और कानूनी पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर, कंपनी बकाया आकस्मिक देनदारियां के विरुद्ध प्रावधान की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भविष्य का परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है, जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में परिवर्तन डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

उचित मूल्य मापन - प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहाँ सक्रिय बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं) का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन का मूल्य निर्धारण करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है।

7. उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कई लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियां के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों को मूल्यांकन तकनीकों में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार है:

– स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियां के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।
– स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) प्रेक्षणीय हैं।
– स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी यथासंभव प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर पर पूरी तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जहाँ निम्नतम स्तर का इनपुट, जो संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण है, रखा जाता है।

कंपनी उस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरण को मान्यता देती है, जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. राजस्व मान्यता

क) अनुबंध से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है

इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार, निर्माण और सेवा गतिविधियों से राजस्व की पहचान "समय के साथ" पद्धति के आधार पर की जाती है और कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब व्यक्तिगत अनुबंधों के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुबंध राजस्व और अनुबंध लागत को रिपोर्टिंग तिथि पर समापन के चरण के संदर्भ में क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

किसी अनुबंध का अनुमानित परिणाम तब विश्वसनीय माना जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

i. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

ii. यह संभावना है कि अनुबंध से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

iii. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के समापन के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

iv. अनुबंध के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी अनुबंध पर अपेक्षित हानि, यदि कोई हो, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें उसका पूर्वानुमान किया जाता है, चाहे अनुबंध के पूरा होने का चरण कुछ भी हो।

अनुबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त राजस्व, बिलिंग से अधिक माना जाता है, अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है और अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम भुगतानों को अनुबंध देयता माना जाता है। अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं को वित्तीय विवरणों में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निक्षेपागार कार्यों के लिए, अनुबंध परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया जाता है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ, रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्ण किए गए लेकिन बिल न किए गए कार्य के लिए कंपनी के एक निश्चित आधार पर प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं। इस अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों की राशि, जब भी उचित समझा गया, हानि और/या प्रावधान से प्रभावित हुई। अनुबंध देयताएँ ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं, जिसके लिए समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है।

किए गए कार्य के लिए बिल की गई राशि, जिसका भुगतान ग्राहक द्वारा अभी तक नहीं किया जाना है, तुलन पत्र में व्यापारिक प्राप्य के रूप में दर्शाई जाती है। ग्राहकों द्वारा रखी गई प्रतिधारण राशि को अन्य चालू परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है और भुगतान की तिथि आने पर उसे व्यापारिक प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ख) माल की बिक्री: माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार क्रेता को हस्तांतरित कर दिए हों, अब बेची गई वस्तुओं पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता, राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लेनदेन के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ग) सेवाएँ प्रदान करना: सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त राजस्व तब माना जाता है जब किसी लेन-देन के परिणाम का लेन-देन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी लेन-देन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान तब लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

1. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

2. यह संभावना है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और

4. लेन-देन के संबंध में हुई या होने वाली लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

समापन का चरण, लेन-देन की अनुमानित कुल लागतों में आज तक हुई वास्तविक लागतों के अनुपात से निर्धारित होता है।

बिल न किया गया राजस्व, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, लेकिन बिल नहीं किया गया है।

घ) ब्याज आय: किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय अनुपात के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ङ) **लाभांश आय:** लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2 पट्टे

पट्टे का लेखा भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में गिना जाता है तथा तदनुरूप पट्टा देयता को पट्टा प्रारंभ तिथि पर गिना जाता है।

प्रारंभ में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसे कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। इसे तब पुनः मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में परिवर्तन, या खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण भविष्य के पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है। जब पट्टा देयता को इस प्रकार पुनः मापा जाता है, तो उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को लागत मॉडल लागू करके मापा जाता है, अर्थात उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचयी क्षति, यदि कोई हो, घटाकर। उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके आरंभ तिथि से लेकर पट्टा अवधि के अंत तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी पहले हो, तक किया जाता है। पट्टा देयता की अग्रणीत राशि, पट्टा देयता पर ब्याज द्वारा बढ़ाई जाती है और किए गए पट्टा भुगतानों द्वारा घटाई जाती है।

निम्नलिखित पट्टे से संबंधित पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है: (i) कम मूल्य के पट्टे; और (ii) वे पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह अंतर्निहित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर देता है। वित्तीय पट्टे के तहत धारित संपत्ति को प्रारंभ में तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है। एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा प्राप्तियों को सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है। कंपनी परिचालन पट्टे के अधीन अंतर्निहित परिसंपत्तियों को अपनी तुलन पत्र में संबंधित परिसंपत्ति वर्ग के अंतर्गत प्रस्तुत करती है।

3 विदेशी मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राओं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनर्अनुवाद किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों का पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4. उधार लेने की लागत

किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित विशिष्ट उधार लागतों को उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए और उधार लागतें व्यय न हो जाएँ। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

उधार लागत में ब्याज व्यय, छूट का परिशोधन, निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन की गई सहायक लागतें और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल हैं, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं। आयकर व्यय को आय विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक वह सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।चालू कर

चालू कर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

चालू कर

चालू कर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर की मान्यता तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियां की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर की मान्यता नहीं दी जाती है: किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों या देनदारियां की प्रारंभिक मान्यता जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है; सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश से संबंधित अंतर, इस सीमा तक कि यह संभावना है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं जाएँगे; और सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियां को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियां और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर, या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियां और परिसंपत्तियों का शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहते हों या उनकी कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियां एक साथ वसूल की जाएँ।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि संबंधित कर लाभ वसूल किया जाएगा।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 प्रति शेयर आय

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और तनु आय ("ईपीएस") आँकड़े प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना, तनु संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को, प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनु माना जाता है जब उनके इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से प्रति शेयर शुद्ध लाभ में कमी आए।

7 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

पीपीई की प्रारंभिक लागत में उसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर शामिल हैं, और किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत, जिसमें प्रासंगिक उधारी लागत और विनिवेश की कोई भी अपेक्षित लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर शामिल है, शामिल है। पीपीई के चालू होने के बाद किए गए व्यय, जैसे मरम्मत और रखरखाव, उस अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं जिसमें लागतें वहन की गई थीं।

यदि पीपीई के किसी भाग के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें पीपीई के अलग-अलग भागों (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सेवा उपकरण जैसी सामग्री वस्तुओं को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वे भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं। 10,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय (योग्य पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण हेतु उधार ली गई धनराशि से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) को चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और निर्माण पूरा होने पर इसे संबंधित पीपीई को आवंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों" के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिमों के रूप में दर्शाया जाता है।

7.2 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास, पीपीई की मूल्यह्रास योग्य राशि का उसके उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित आवंटन है और अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन काल के दौरान लिखित मूल्य विधि के अनुसार प्रदान किया जाता है।

पीपीई के लिए मूल्यह्रास योग्य राशि, पीपीई की लागत में से उसके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। पीपीई का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान कंपनी द्वारा पीपीई के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है, या कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली उत्पादन या समान इकाइयों की संख्या है।

अतिरिक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास स्थापना या अधिग्रहण की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। कटौती/निपटान पर मूल्यह्रास कटौती/निपटान की तिथि तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि से तुलना करके किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

8 अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल के दौरान, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

परिशोधन

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

किसी पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और संपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके 3 वर्षों की अवधि में करती है।

9 भंडार

माल-सूची का मूल्यांकन अप्रचलन को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार किया जाता है:

(i) कच्चा माल, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे और खुले उपकरण, भारित औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर। हालाँकि, इन वस्तुओं को लागत पर प्राप्ति योग्य माना जाता है यदि जिन तैयार उत्पादों में इनका उपयोग किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

(ii) निर्माण गतिविधि के संबंध में पूर्ण संपत्ति/प्रगतिशील कार्य, विशिष्ट रूप से पहचान योग्य लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरv) का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है और जब वे परिस्थितियां, जिनके कारण पहले इन्वेंट्री को लागत से नीचे लिखा गया था, अब मौजूद नहीं होती हैं या जब बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण होता है, तो पिछली अवधि में यदि कोई कटौती हुई है, तो उसे मूल लिखी गई राशि की सीमा तक उलट दिया जाता है, ताकि परिणामी वहन राशि लागत और संशोधित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, हो।

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में और हाथ में नकदी तथा बैंकों के पास अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और अल्पकालिक नकदी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित करके तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को निम्नलिखित प्रभावों के लिए असाधारण मदों को छोड़कर समायोजित किया जाता है:

(i) अवधि के दौरान इन्वेंट्री और गैर-नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में परिवर्तन;

(ii) गैर-नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानि; और

(iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाई गई नकदी और नकदी समकक्ष (बैंक शेष सहित) में वे मदें शामिल नहीं हैं जो तुलन पत्र की तिथि तक सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

जहाँ कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहाँ परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा उचित मूल्य पर किया जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन काल के दौरान लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, इन्वेंटरी और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) की वसूली योग्य राशि उसके उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से विक्रय लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों को उन परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं और जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ("नकदी-उत्पादक इकाई") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी-उत्पादक इकाई की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम है, तो आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है। पूर्व अवधियों में पहचानी गई हानि की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इस बात के किसी भी संकेत के लिए की जाती है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि को उलट दिया जाता है। हानि की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जब परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न हो जो मूल्यह्रास या परिशोधन को घटाकर निर्धारित की जाती, यदि कोई हानि की पहचान नहीं की गई होती। किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की अग्रणीत राशि का हिस्सा बनने वाली ख्याति को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, और इसलिए उसकी हानि के लिए अलग से जाँच नहीं की जाती है। इसके बजाय, किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की पूरी राशि की हानि के लिए एकल परिसंपत्ति के रूप में जाँच की जाती है, जब वस्तुनिष्ठ प्रमाण मौजूद हों कि सहयोगी कंपनी में निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है।

इक्विटी लेखाकृत निवेशक के संबंध में हानि की माप निवेश की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करके की जाती है। आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है, तथा यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अनुमानों में अनुकूल परिवर्तन हुआ है तो हानि को उलट दिया जाता है।

14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के साथ ही व्यय किए जाते हैं। यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान, कर्मचारियों से सेवाएँ प्राप्त होने पर आय विवरण में दर्शाए जाते हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य रोज़गार-पश्चात लाभों से संबंधित देयता की गणना योग्य बीमांककों की सलाह के अनुरूप अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, उच्च-गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड की ब्याज दरों का उपयोग करके अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है, जो उस मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि के लगभग समान होती है। परिभाषित लाभ योजना की वर्तमान सेवा लागत, जिसे आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ परिवर्तनों, कटौती और निपटान के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि को दर्शाती है। पिछली सेवा लागतों को आय में तुरंत मान्यता प्राप्त है। शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है। अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानियाँ, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

इक्विटी में प्रभारित या जमा की जाती हैं जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, वापसी की वास्तविक संभावना के बिना, सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि से पहले रोजगार समाप्त करने, या स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समाप्ति लाभ प्रदान करने की औपचारिक विस्तृत योजना के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध हो। स्वैच्छिक छंटनी के लिए समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कंपनी ने स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने वाला प्रस्ताव दिया है, तो यह संभावना है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्वीकृतियों की संख्या का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व, कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधियों में अपनी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की राशि है। उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है। पुनर्मापन को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

15 प्रावधान

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी पर कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन के सामयिक मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व दर पर छूट देकर किया जाता है जो धन के सामयिक मूल्य और देयता से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, वहाँ समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं होगी। जहाँ कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, वहाँ कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्वाह होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और/या वित्तीय देयतायों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधनों वाले किसी अनुबंध में पक्षकार बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों, वित्तीय देयतायों और वित्तीय गारंटी अनुबंधों को प्रारंभ में लेन-देन मूल्यों पर मापा जाता है और जहाँ ये मूल्य उचित मूल्य से भिन्न होते हैं, वहाँ उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियां (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियां को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित लेन-देन लागतों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, ऐसी वित्तीय आस्तियों या देनदारियां के उचित मूल्य में, जैसा भी मामला हो, जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियां के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेन-देन लागतों को लाभ या हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ब्याज मुक्त या रियायती ऋणों और अधिमान्य शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों को वित्तपोषित करने के मामले में, प्रारंभिक रूप से मापे गए उचित मूल्य से अधिक वास्तविक वित्तपोषित राशि को इक्विटी निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उनकी संपूर्णता में या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, इस प्रकार:

1. ऋण उपकरणों में निवेश जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित किया गया है - उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है (जब तक कि उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामित न किया गया हो):
   i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
   ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।
3. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले ऋण उपकरणों में निवेश को बाद में अन्य व्यापक आय [एफवीटीओसीआई] के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है (जब तक कि उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो)
   i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है; और
   ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।
4. एफवीटीपीएल में ऋण उपकरण, यदि कोई हो, तो ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है और सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
5. सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी उपकरणों में निवेश को लागत घटा हानि पर मापा जाता है।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश को इक्विटी उपकरण माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं या ऐसे निवेशों के मोचन के उद्देश्य से जारी किए गए इक्विटी उपकरणों की आय से मोचन योग्य हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश कोएफवीटीपीएल में ऋण उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
7. इक्विटी उपकरणों में निवेश कोएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि संबंधित उपकरण ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे जाते हैं और कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपरिवर्तनीय रूप से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का चुनाव नहीं करती है।
8. एफवीटीओसीआई पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज और लाभांश के रूप में आय, हानि के लिए प्रावधान और विनिमय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

अंतर, यदि कोई हो, (ऋण उपकरण पर) को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय के कारण) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और अन्य इक्विटी में संचित किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के निपटान पर, अन्य इक्विटी में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों के मामले में, इस तरह के संचयी लाभ या हानि को निवेश के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

9. किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब रद्द की जाती है जब:

   i). परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या

   ii). कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या किसी पास-थ्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी महत्वपूर्ण देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया हो; और

   (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को लगभग पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया हो, या

   (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही उन्हें अपने पास रखा हो, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

10) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति: कंपनी अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि की पहचान करती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर क्षति हानि तब पहचानी जाती है जब वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

(II) वित्तीय देयताएँ:

1. वित्तीय देयताएँ, जिनमें डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव शामिल हैं, जिन्हेंएफवीटीपीएल पर मापन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को बाद में क्षति हानि भत्ते की राशि या संचयी परिशोधन के आरंभिक निवल मूल्य पर मापी गई राशि, जो भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

   ऋण और उधार सहित अन्य सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2. किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब संबंधित दायित्व समाप्त हो जाता है या उसे समाप्त या रद्द कर दिया जाता है।

   किसी वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय दायित्व को तुलन पत्र में शुद्ध आधार पर समायोजित और प्रस्तुत किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का वर्तमान कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो और इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना हो या परिसंपत्ति की वसूली और दायित्व का एक साथ निपटान करना हो।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

19 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से उन पूर्व अवधियों की तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियां और इक्विटी के आरंभिक शेष पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

20 परिचालन खंड

भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसए) 108 के अनुसार, खंड संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त परिचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंडों को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसए) 108 के अर्थ में 'सीओडीएम' है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त संकेतक, लागू किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे तौर पर खंड से संबंधित मदों के साथ-साथ वे मदें भी शामिल होती हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर-आवंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय शामिल होते हैं।

खंडों से सीधे संबंधित राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों से सीधे संबंधित व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अवधि के दौरान की गई कुल लागत है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंटरी और अन्य परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें सीधे या उचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित खंडों से संबंधित परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों में आवंटित किया गया है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर पूंजीगत कार्य, पूंजीगत अग्रिम, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देनदारियां में किसी खंड के संबंध में सभी परिचालन देनदारियां शामिल होती हैं और इनमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय राशियां, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देनदारियां में इक्विटी, आयकर देनदारियां, ऋण और उधारी तथा अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

विवरण	इमारत	संयंत्र और मशीनरी	जहाज (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फ़र्निचर व फिक्सचर	वाहन	कुल
लागत या मानी गई लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2023 तक	132.63	2,336.73	2.32	92.69	75.41	3.72	2,643.49
परिवर्धन	-	45.54	-	0.38	1.72	-	47.64
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(1.46)	-	-	-	-	(1.46)
31 मार्च 2024 तक	132.63	2,380.80	2.32	93.07	77.13	3.72	2,689.67
परिवर्धन	-	4.54	-	28.11	0.68	-	33.33
घटाएँ: निपटान / समायोजन	(0.00)	(49.35)	-	0.00	(0.00)	0.00	(49.35)
31 मार्च 2025 तक	132.63	2,335.99	2.32	121.18	77.81	3.72	2,673.65
संचित मूल्यह्रास							
31 मार्च 2023 तक	89.40	1,732.64	2.29	82.85	64.95	3.68	1,975.82
परिवर्धन	4.41	129.83	-	4.43	3.67	0.00	142.33
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(1.43)	-	-	-	-	(1.43)
31 मार्च 2024 तक	93.81	1,861.04	2.29	87.29	68.62	3.68	2,116.73
परिवर्धन	4.00	100.18	-	6.47	2.88	0.00	113.53
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(47.17)	-	-	-	-	(47.17)
31 मार्च 2025 तक	97.81	1,914.05	2.29	93.76	71.50	3.68	2,183.09
कुल पुस्तक मूल्य							
31 मार्च 2025 तक	34.82	421.94	0.03	27.42	6.31	0.04	490.56
31 मार्च 2024 तक	38.82	519.76	0.02	5.78	8.52	0.04	572.94

टिप्पणी:

क) भवन निर्माण में सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से लीज/किराए पर ली गई भूमि पर स्थायी संरचनाओं के संबंध में 131.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 131.46 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 अमूर्त संपत्ति

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
लागत या मानी गई लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च 2023 तक	46.33
परिवर्धन	-
31 मार्च 2024 तक	46.33
	46.33
परिवर्धन	1.44
31 मार्च 2025 तक	47.77
संचित परिशोधन	
31 मार्च 2023 तक	30.48
वर्ष के लिए शुल्क	7.38
31 मार्च 2024 तक	37.87
	37.87
वर्ष के लिए शुल्क	5.96
31 मार्च 2025 तक	43.83
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च 2025 तक	3.94
31 मार्च 2024 तक	8.47

4 क. प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी
31 मार्च 2024 तक	-
परिवर्धन	-
(स्थानांतरण करना)	-
31 मार्च 2025 तक	-

ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) आयु निर्धारण अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 निवेश	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान निवेश		
(अ) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश		
(क) सहायक कंपनियां (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)		
भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	**486.30**	**486.30**
48,630 (31 मार्च 2024 : 48,630) 1000/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	**0.30**	**0.30**
300 (31 मार्च 2024 : 300) पूर्णतः चुकता 100/- रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर		
घटाएँ: प्रावधान	**(0.30)**	**-**
(ग) अन्य कंपनियां		
लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	**42.20**	**42.20**
4,22,000 (31 मार्च 2024 : 4,22,000) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)*	**2,558.01**	**2,558.01**
2,55,80,122 (31 मार्च 2024 : 2,55,80,122) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
(उद्धरण रहित, लागत पर मूल्यांकित)		
3,015 (31 मार्च 2024 : 3,015) वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड का पूर्णतः भुगतान किया गया इक्विटी शेयर (पहले "ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% गैर-रिडीमेबल पंजीकृत डिबेंचर स्टॉक")	**0.16**	**0.16**
(ब) डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		
99 नंबर (31 मार्च 2024: 99 नंबर) आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड-2026	**92.49**	**87.79**
कुल निवेश	**3179.16**	**3,174.47**
कुल पुस्तक मूल्य		
- उद्धृत निवेश	**-**	**-**
- अनउद्धृत निवेश	**3179.16**	**3,174.47**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**लागू नही**	**लागू नही**

* भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियां थीं, परिसमापन के अधीन हैं।

6 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान		
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य, अच्छे माने जाते हैं	**1,108.42**	**1,108.42**
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ते	**(1,108.42)**	**(1,108.42)**
	-	**-**
वर्तमान		
शोध्य माना गया	**3,340.51**	**3,263.01**
संदिग्ध माना गया	**-**	**-**
	3,340.51	**3,263.01**
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता	**(1,352.90)**	**(919.72)**
कुल व्यापार प्राप्य	**1,987.61**	**2,343.28**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
क्र.सं	विवरण	देय नहीं	बिल न की गई राशि	<6 महीने	6माह-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
	31 मार्च 2025 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	662.52	-	145.71	489.59	1,001.17	200.34	841.18	**3,340.51**
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	**1,108.42**
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	**-**
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि और संदिग्ध प्राप्य समायोजन								**(2,461.32)**
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	**1,987.61**
	31 मार्च 2024 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	2,162.46	147.92	111.44	42.99	798.20	**3,263.01**
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	**1,108.42**
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	**-**
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि और संदिग्ध प्राप्य समायोजन								**(2,028.14)**
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	**2,343.28**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 अन्य वित्तीय संपत्ति

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान		
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक हो	**213.92**	**591.00**
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	**4,679.05**	**4,920.06**
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	**(53.15)**	**(53.15)**
	4,839.82	**5,457.91**
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों और अन्य को दिए गए ऋण पर भारत सरकार का प्राप्य ऋण	**6,796.31**	**6,796.31**
घटाएँ: प्रावधान	**(207.25)**	**(138.16)**
लेनदारों को अग्रिम	**6,589.06**	**6,658.15**
अन्य अग्रिम	**1,034.10**	**1,079.22**
	111.11	**145.46**
प्राप्य/उपार्जित ब्याज		
सहायक कंपनियों को ऋण पर	**34,006.55**	**34,006.55**
निवेश, जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	**745.45**	**625.96**
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	**1,171.10**	**1,262.31**
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	**(77.76)**	**(8.44)**
प्राप्य – अन्य	**-**	**0.04**
	43,579.61	**43,769.24**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	591.94	506.54
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	108.96	118.17
कुल	700.90	624.71
आस्थगित कर देयता		
- मूर्त और अमूर्त संपत्ति	28.79	23.13
- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(9.87)	(8.70)
आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध	719.82	639.15

9 भंडार

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कच्चा माल	595.05	669.76
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं	16.90	23.74
फुटकर औजार	15.44	12.82
घटाएँ: प्रावधान	(66.64)	(54.65)
प्रगतिधीन कार्य	2,242.10	3,201.84
कुल भंडार	2,802.85	3,853.50

10 नकद और नकद के समान

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों के पास शेष:		
- चालू खातों पर	324.29	229.65
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में*	4,864.34	2,048.19
नकद हाथ मे	2.17	2.57
कुल नकदी और नकद समकक्ष	5,190.80	2,280.41

*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियां 2,335.81 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 139.15 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

11 अन्य बैंक बैलेंस (सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों में 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशियाँ*	14,159.13	14,286.70
घटाएँ: 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत प्रकटित बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है	(213.92)	(591.00)
कुल अन्य बैंक शेष	13,945.21	13,695.70

*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियां 4,831.42 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 6,924.87 लाख रुपये) शामिल हैं।

12 वर्तमान कर संपत्ति

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (प्रावधान के बाद शुद्ध)	-	456.29
	-	456.29

13 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
जीएसटी खाता - (इनपुट) - संपत्ति	727.22	960.27
अन्य सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष	22.22	22.22
	749.44	982.49
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नीचे नोट का संदर्भ लें)	5,495.62	-
	6,245.06	982.49

वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ	-	-
जोड़ें: अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों मे परिवर्तन	5,495.62	-
घटाएँ: अनुबंध प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त	-	-
घटाएँ: अनुबंध परिसंपत्तियों को अपेक्षित ऋण हानि	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 शेयर पूंजी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
34,81,000 (31 मार्च 2024: 34,81,000) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	**34,810.00**	**34,810.00**
जारी शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2024: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	**12,086.05**	**12,086.05**
अभिदत्त और पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2024: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	**12,086.05**	**12,086.05**
	12,086.05	**12,086.05**

(क) रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2025 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को इक्विटी शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरुआत में उत्कृष्ट	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान जारी	-	-
वर्ष के अंत में उत्कृष्ट	**12,08,605**	**12,08,605**

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों का सममूल्य ₹1000 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) वार्षिक आम बैठकों में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम होल्डिंग कंपनी के संबंध में शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी के पास कोई होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति और उनके मनोनीत सदस्य	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	**12,08,605**

(ङ) तुलन पत्र की तारीख तक शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्पों और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई साधारण शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं।

(च) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ('बीसीएल'), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ('बीएससीएल'), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड ('बीबीवीएल') और आरबीएल लिमिटेड ('आरबीएल') के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के परिणामस्वरूप और बीएससीएल, बीसीएल और बीबीजे के संबंध में ऋण और ब्याज को इक्विटी शेयर पूंजी और शून्य रेटेड डिबेंचर में परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में और उपरोक्त राशि के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश पर विचार करते हुए, कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी/अधिमान्य शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई भी कॉल बकाया नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 अन्य इक्विटी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पूंजी आरक्षित	0.06	0.06
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
डिबेंचर मोचन रिजर्व	78.66	91.16
प्रतिधारित कमाई	12,739.17	10,079.66
	14,291.54	**11,644.53**

(अ) पूंजी आरक्षित

प्रारंभिक जमा	0.06	0.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
जमा शेष	**0.06**	**0.06**

(ब) सामान्य रिजर्व

प्रारंभिक जमा	1,473.65	1,473.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	-	-
जमा शेष	**1,473.65**	**1,473.65**

सामान्य रिज़र्व कंपनी का मुफ़्त रिज़र्व होता है जिसे भविष्य की ज़रूरतें उत्पन्न होने पर पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफ़े से अलग रखा जाता है।

(स) डिबेंचर मोचन रिजर्व*

प्रारंभिक जमा	91.16	103.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	(12.50)	(12.50)
जमा शेष	**78.66**	**91.16**

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार डिबेंचर की बकाया राशि के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था।

(द) प्रतिधारित कमाई

प्रारंभिक जमा	10,079.66	8,181.29
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,059.62	2,063.03
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(412.61)	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
जोड़ें: डिबेंचर मोचन रिजर्व से स्थानांतरित	12.50	12.50
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण	-	-
जमा शेष	**12,739.17**	**10,079.66**
कुल अन्य इक्विटी	**14,291.54**	**11,644.53**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 उधारी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान उधार		
असुरक्षित ऋण		
पुनर्रचना ऋणपत्र जमा(जेड आर डी) :	192.11	217.92
कुल गैर-वर्तमान उधार	**192.11**	**217.92**
वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाने योग्य सुरक्षित ऋण		
- केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट **	-	-
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिम	**6,589.00**	**6,589.00**
कुल वर्तमान उधार	**6,589.00**	**6,589.00**

*** पुनर्संरचना डिबेंचर जमा (जेडआरडी) :**

भारत सरकार द्वारा 2005 में द दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (BBJ) के वित्तीय पुनर्गठन की स्वीकृत योजना के अनुसार, भारत सरकार के 3.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने, भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने और भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। इस योजना के तहत, कंपनी 2007-08 से 0.50 करोड़ रुपये की समान वार्षिक किश्तों में शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) का भुगतान कर रही है और 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

**** केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट:**

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के बंधक द्वारा सुरक्षित है और प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर और वाहनों सहित अचल संपत्तियों के बंधक और 22, ली रोड, कोलकाता - 700020 में कंपनी के फ्लैट के समतुल्य बंधक द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर 10.10% प्रति वर्ष है और मांग पर चुकाया जा सकता है।

17 प्रावधान

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	**8.15**	**50.54**
- अवकाश नकदीकरण	**410.19**	**391.44**
	418.34	**441.98**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	**15.90**	**-**
- अवकाश नकदीकरण	**25.62**	**81.26**
	41.52	**81.26**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

18	अन्य देनदारियाँ	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	गैर वर्तमान		
	डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन	48.33	69.94
	अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	4,086.95	4,086.95
		4,135.28	4,156.89
	वर्तमान		
	वैधानिक बकाया	139.41	130.11
	डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन	24.19	26.77
	ग्राहकों से अग्रिम	262.14	247.23
	अन्य वर्तमान देनदारियां	5,587.34	2,297.03
		6,013.08	2,701.14

19	व्यापार देनदारियाँ	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	गैर वर्तमान		
	व्यापार देयताएं		
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	323.96	323.55
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
		323.96	323.55
	वर्तमान		
	व्यापार देयताएं		
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	499.00	501.04
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
		499.00	501.04

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19

व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

31 मार्च 2025 तक			**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					
क्र.सं.	**विवरण**	**देय नहीं**	**बकाया राशि**	**<1 वर्ष**	**1-2 साल**	**2-3 साल**	**> 3 साल**	**कुल**
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य			494.35			328.61	822.96
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई							-
iv)	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	**-**	**-**	**494.35**	**-**	**-**	**328.61**	**822.96**

31 मार्च 2024 तक			**भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					
क्र.सं.	**विवरण**	**देय नहीं**	**बकाया राशि**	**<1 वर्ष**	**1-2 साल**	**2-3 साल**	**> 3 साल**	**कुल**
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य			501.04			323.55	824.59
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई							-
iv)	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	**-**	**-**	**501.04**	**-**	**-**	**323.55**	**824.59**

20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

	31 मार्च 2025 को	**31 मार्च 2024 को**
गैर-वर्तमान		
व्यापार और सुरक्षा जमा	**69.89**	**121.49**
	69.89	**121.49**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ देय	**107.15**	**121.48**
भारत सरकार से उधार लेने पर अर्जित एवं देय ब्याज	**34,016.12**	**34,016.12**
डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन	**50.00**	**50.00**
व्यापार और सुरक्षा जमा	**4,060.22**	**4,181.39**
देय अन्य	**0.20**	**-**
	38,233.69	**38,369.00**

21 वर्तमान कर देनदारियाँ

	31 मार्च 2025 को	**31 मार्च 2024 को**
वर्तमान कर देनदारियाँ (अग्रिम कर का शुद्ध)	**90.98**	**-**
	90.98	**-**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

22 परिचालन से राजस्व

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुबंधों से राजस्व	12,710.23	24,859.23
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-
अनुबंधों से सकल राजस्व - 21,482.90 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 29,333.89 लाख रुपये)		
	18,205.85	24,859.23
अन्य राजस्व:		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	-
स्क्रैप की बिक्री	70.74	151.14
	18,276.59	25,010.37

23 अन्य आय

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
ब्याज आय		
- बैंक और सुरक्षा जमा पर	1,245.64	962.73
- बांड पर	4.69	4.47
अन्य गैर-परिचालन आय	45.18	18.53
पूर्व अवधि समायोजन	-	21.97
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	4.67	2.03
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता वापस लिखा गया	-	41.68
बी.जी. का नकदीकरण / एस.डी. और ई.एम.डी. की जब्ती	1.30	13.21
	1,301.48	1,064.61

24 उपभोग की गई सामग्री की लागत

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का प्रारंभिक स्टॉक	669.76	892.13
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी	466.49	6,117.46
	1,136.25	7,009.59
घटाएँ: कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम स्टॉक	595.05	669.76
	541.20	6,339.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यय	14.82	109.27
	556.02	6,449.10

25 इन्वेंटरी में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कार्य प्रगति पर है		
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	3,201.84	3,738.62
घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	2,242.10	3,201.84
इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी	959.74	536.78

25अ उप अनुबंध एवं अन्य रूपांतरण प्रभार

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उप-ठेका व्यय	6,055.19	8,579.54
निर्माण कार्य व्यय	792.52	2,064.53
अनुबंध व्यय	3,031.36	-
	9,879.07	10,644.07

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
25ब	**भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत**		
	भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत	80.79	453.02
		80.79	453.02

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
26	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन, मजदूरी और बोनस	2,135.37	3,007.82
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	179.99	270.74
	कर्मचारी कल्याण व्यय	35.61	46.67
		2,350.97	3,325.23

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
27	**वित्तीय लागत**		
	बैंक ब्याज और कमीशन	50.84	69.29
		50.84	69.29

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
28	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		
	मूल्यह्रास	113.53	142.33
	ऋणमुक्ति	5.96	7.38
		119.49	149.72

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
29	**अन्य खर्चे**		
	विज्ञापन	6.77	7.14
	संदिग्ध ऋणों, प्राप्य और अन्य के लिए भत्ता	583.57	89.10
	बैंक शुल्क	11.00	15.20
	कार किराये का शुल्क	61.21	81.87
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 42)	30.66	22.07
	माल भाड़ा अग्रेषण	43.22	32.74
	बीमा	118.81	50.38
	श्रम उपकर	79.20	178.58
	कानूनी खर्च	72.73	76.70
	सलहाकरी संस्था का शुल्क	85.05	93.61
	विविध व्यय	72.37	119.27
	लेखा परीक्षकों को भुगतान **(नोट 34) :**		
	ऑडिट फीस	0.80	0.95
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.55
	अन्य	0.35	1.04
	डाक, टेलीफोन और फैक्स	4.74	5.23
	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	8.03	12.52
	वेतन (अनुबंध)	83.40	117.03
	प्लांट और क्रेन किराया शुल्क	2.15	28.83

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

बिजली और ईंधन	**119.81**	**349.93**
दरें और कर	**5.24**	**189.21**
किराया	**108.69**	**110.20**
मरम्मत और रखरखाव:		
- इमारतें	**0.01**	**0.05**
- संयंत्र और मशीनरी	**0.51**	**1.97**
- अन्य	**4.24**	**3.31**
साइट स्थापना व्यय	**-**	**0.25**
सदस्यता और दान	**8.22**	**0.80**
परीक्षण शुल्क	**12.86**	**14.50**
यात्रा खर्च	**48.62**	**49.40**
	1,572.51	**1,652.45**

30 कर व्यय

	31 मार्च 2025 को	**31 मार्च 2024 को**
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	**1,029.68**	**730.29**
MAT क्रेडिट पात्रता		
आस्थगित कर:		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	**(80.67)**	**1.99**
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	**949.01**	**732.29**
वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर		
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**-**	**-**
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	**-**	**-**
ओसीआई पर आयकर प्रभार	**-**	**-**
घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का मिलान:		
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	**4,008.63**	**2,795.32**
लेखांकन लाभ पर वैधानिक आयकर दर 25.17% पर कर (31 मार्च 2024: 25.17%)	**1,008.97**	**703.58**
कर उद्देश्यों के लिए आरंभिक इक्विटी में ली गई वस्तुओं के संबंध में समायोजन की अनुमति है	**-**	**-**
आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	**(80.67)**	**1.99**
अन्य	**-**	**-**
25.17% की प्रभावी कर दर पर कुल	**928.30**	**705.58**
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया कर व्यय	**949.01**	**732.29**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएँ

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
i)	आकस्मिक देयताएं:		
	- विवादित बिक्री कर मांग	88.10	87.89
	- विवादित आयकर मांग	497.28	497.28
	- विवादित सेवा कर मांग	154.45	154.45
	- विवादित पीएफ मांग अपील के अधीन	54.14	54.14
	- बैंक गारंटी	6,556.09	5,960.21
	- विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग (TRAN 1 ब्याज) - बिहार	12.55	12.55
	- जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए (वर्ष 2019-20) के बीच अंतर के कारण विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग - छत्तीसगढ़	5.15	-

** इसके अतिरिक्त, 31.85 लाख रुपये के आयकर से संबंधित विवादित ब्याज मांग भी है।

*कंपनी कानूनी कार्यवाहियों और दावों के अधीन है, जो सामान्य व्यावसायिक क्रम में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें कर अधिकारियों के समक्ष मुकदमेबाजी और ऊपर उल्लिखित मामले शामिल हैं। अनिश्चितताएँ और संभावित घटनाएँ, दावेदारों या कंपनी द्वारा, जैसा भी मामला हो, लागू की गई विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणामों पर निर्भर करती हैं, और इसलिए इनका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर सलाहकारों को नियुक्त करती है और उसे सूचित किया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध उसकी कानूनी स्थिति मज़बूत है। प्रबंधन का मानना है कि कार्यवाही के बचाव में उसके पास एक उचित मामला है और इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अदालती मामलों का विस्तृत विवरण नोट 43 में दिया गया है।

32 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी के साथ उसके संबंध की प्रकृति प्रदान करती है:

नाम	संबंध
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 27.12.2022 से	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 03.02.2023 से 06.06.2024 तक	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 01.02.2025 से	निदेशक (तकनीकी) - अतिरिक्त प्रभार
श्री राजीव कुमार सिंह 21.05.2022 से 31.01.2025 तक	निदेशक (तकनीकी)
श्री सुजीत कुमार घोष दिनांक 07.06.2024	निदेशक (वित्त)
श्री आदित्य कुमार घोष 27.02.2025 तक	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्री उदय भान सिंह दिनांक 27.02.2025 से	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्रीमती सरला देवी 14.02.2025 तक	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन का विवरण:

	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i)	प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक: -		
	निदेशक के रूप में वेतन और भत्ते	137.34	94.84
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में योगदान	9.59	8.69
	(वेतन और भत्ते में अवकाश नकदीकरण भुगतान शामिल है)		
ii)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क और अन्य शुल्क	0.60	0.85

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम:

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समतुल्य किए जाते हैं जो कि आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

33 खंड जानकारी

भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 "परिचालन खंड" ("भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108") व्यावसायिक उद्यमों द्वारा परिचालन और भौगोलिक खंडों के बारे में जानकारी और उत्पादों एवं सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, तथा प्रमुख ग्राहकों से संबंधित प्रकटीकरणों की रिपोर्टिंग के तरीके के लिए मानक स्थापित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, परिचालन खंडों और भौगोलिक खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदान की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप होनी चाहिए। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और समग्र आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है।

कंपनी मुख्य रूप से निर्माण सहित निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे भारतीय लेखा मानक - 108 के अनुसार 'परिचालन खंडों' पर एकमात्र रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में परिचालन कर रही है जिसे एक एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

34 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

	समाप्त वर्ष के लिए	**समाप्त वर्ष के लिए**
विवरण	**31 मार्च 2025**	**31 मार्च 2024**
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.80	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
अन्य	0.35	1.48
कुल	**1.40**	**2.53**

35 भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण

अ) ग्रेच्युटी

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अंशदान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करती है, जिसे "ग्रेच्युटी योजना" कहा जाता है। ग्रेच्युटी योजना के तहत, कम से कम पाँच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के समय पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और एलआईसी द्वारा निर्धारित परिणामी देयता कंपनी द्वारा प्रति वर्ष चुकाई जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित 15.90 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 42.39 लाख रुपये) है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित तालिकाएँ तुलन पत्र पर ग्रेच्युटी फंड के विभिन्न घटकों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान:

विवरण	**31 मार्च 2025 तक**	**31 मार्च 2024 तक**
परिभाषित लाभ दायित्व आरंभिक शेष	**542.89**	**499.23**
वर्तमान सेवा लागत	18.22	41.79
पिछली सेवा लागत		
ब्याज लागत	39.36	33.59
भुगतान किए गए लाभ	(140.15)	(34.66)
बीमांकिक लाभ	(10.48)	2.94
अधिग्रहण समायोजन		
समापन शेष परिभाषित लाभ दायित्व	449.84	542.89

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:		
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	509.23	484.04
ब्याज आय	-	33.73
नियोक्ता योगदान	50.98	21.45
भुगतान किए गए लाभ	(140.15)	(34.66)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	37.64	4.67
माप अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	457.70	509.23

मान्यताओं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	7.25%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.68%, 7.67%	7.68%, 7.67%
मुआवजे में वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00%, 5.50%	6.25%, 5.50%

ब) छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रदान करती है जो 30 दिनों की दर से वार्षिक रूप से अर्जित होता है। सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण किया जा सकता है। हालाँकि, सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण की जा सकने वाली कुल छुट्टियों की संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। वित्तीय विवरणों में वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 435.81 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 472.69 लाख रुपये) का संचित प्रावधान किया गया है।

निम्नलिखित तालिकाएँ लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ व्यय के घटकों और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और समापन शेष का मिलान:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**472.69**	**458.56**
वर्तमान सेवा लागत	21.02	23.22
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	26.61	28.48
भुगतान किए गए लाभ	(154.62)	(100.02)
बीमांकिक लाभ	70.11	62.45
अधिग्रहण समायोजन		
अन्त शेष	**435.81**	**472.69**
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	428.10	473.60
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	428.10	473.60
वर्तमान प्रावधान	25.62	81.26
गैर वर्तमान प्रावधान	410.19	391.44

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवा लागत	21.02	23.22
ब्याज लागत	26.61	28.48
पुनः माप लाभ/(हानि)		
जनसांख्यिकीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	70.11	62.45
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक (कम)	-	-
कुल लागत	**117.74**	**114.15**

मान्यताओं	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.73%	6.97%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-4.02%	4.26%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.31%	-4.01%
	समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट की दर	वेतन बृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.80%	4.05%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.08%	-3.80%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में परिवर्तन को अलग से दिखाने के लिए की गई है, तथा यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

36 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें सिफारिश की गई है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहकों के साथ अपने पत्राचार में उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख करना चाहिए, जैसा कि ज्ञापन दाखिल करने के बाद आवंटित किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च 2025 तक ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी के पास प्राप्त और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वित्तीय विवरणों में किया गया है। इसके अलावा प्रबंधन के मद्देनजर, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, सामग्री होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी को किसी भी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए कोई दावा नहीं मिला है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज।	शुन्य	शुन्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शुन्य	शुन्य
ग)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन इस एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शुन्य	शुन्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; और	शुन्य	शुन्य
ड)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शुन्य	शुन्य

37 प्रति शेयर आय

मूल ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनु ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को जोड़कर की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्रति शेयर मूल और तनु आय की गणना दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयर धारकों को देय वर्ष का लाभ	3,059.62	2,063.03
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल (संख्या में)	12,08,605.00	12,08,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - तनुकृत (संख्या में)	12,08,605.00	12,08,605.00
प्रति शेयर आय		
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय – मूल (₹)	253.15	170.70
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय – तनुकृत (₹)	253.15	170.70

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

38 निष्पक्ष मूल्यांकन तकनीकें

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आँकड़ों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियां का मूल्यांकन करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियां के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जो माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या किसी देनदारी को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

i) नकदी और जमा, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियां का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर होता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिकाएं कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियां के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती हैं, जिन्हें नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया गया है:

i) समान परिसंपत्तियों या देनदारियां के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)। इसमें सक्रिय बाज़ारों में कारोबार किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल होता है और यह तुलन पत्र की तिथि पर उद्धृत बाज़ार मूल्यों पर आधारित होता है।

ii) स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा, वे इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, मूल्यों से प्राप्त) (स्तर 2) अवलोकनीय हैं। इसमें उन वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य शामिल है जिनका किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीकें अवलोकनीय बाजार आँकड़ों का अधिकतम उपयोग करती हैं जहाँ वे उपलब्ध हों और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

iii) परिसंपत्ति या देयता के लिए ऐसे इनपुट जो अवलोकनीय बाज़ार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अर्थात, अवलोकनीय नहीं इनपुट) (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाज़ार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय पूंजी						
इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	3,086.51	-	-	3,086.51	-
डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	-	92.66	-	-	87.95	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**3,179.17**	**-**	**-**	**3,174.47**	**-**
वित्तीय देनदारियां						
ऋण को शून्य दर डिबेंचर में परिवर्तित किया गया	-	192.11	-	-	217.92	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**192.11**	**-**	**-**	**217.92**	**-**

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य मापनों के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और स्तर 3 के उचित मूल्य मापनों में और उससे बाहर कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। स्तर 3 के अंतर्गत कोई लेनदेन/शेष नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

39 जोखिम प्रबंधन नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियां का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित और समर्थन प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में इन्वेंट्री, व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ, नकदी और नकद समकक्ष, और वापसी योग्य जमा राशियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

क) बाज़ार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव हो सकता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यतः कंपनी के अस्थिर ब्याज दरों वाले अल्पकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी परिवर्तनशील दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी किसी भी ब्याज दर स्वैप में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका प्रभावित ऋणों और उधारों के उस हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। अन्य सभी चर स्थिर रहने पर, कंपनी का कर-पूर्व लाभ अस्थिर दर उधारों के प्रभाव से प्रभावित होता है, जो इस प्रकार है:

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2025	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2024 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम मुख्यतः उसकी परिचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य) और उसकी निवेश गतिविधियों, जिनमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों में जमा राशियाँ शामिल हैं, से उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम को उन ग्राहकों की ऋण सीमाओं और साख-योग्यता का निरंतर विश्लेषण करके नियंत्रित किया जाता है जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण प्रदान किया गया है। व्यापारिक प्राप्य राशियों से वसूली की निगरानी प्राप्य टीम द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है।

कंपनी ऋण हानि के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो पिछले और हाल के वसूली रुझान के आधार पर व्यापारिक और अन्य प्राप्य राशियों के संबंध में अपेक्षित हानियों के उसके अनुमान को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि तक ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से है। वर्ष के दौरान व्यापारिक प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण हानि भत्ते में परिवर्तन इस प्रकार रहा:

ऋण हानि के लिए भत्ता	**31 मार्च 2025 तक**	**31 मार्च 2024 तक**
प्रारंभिक जमा	**1,062.68**	**1,015.26**
क्रेडिट हानि प्रदान की गई	583.57	89.10
ऋण हानि वापसी	-	(41.68)
जमा शेष	**1,646.25**	**1,062.68**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग) तरलता जोखिम

कंपनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋण के उपयोग के माध्यम से वित्तपोषण की निरंतरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना है। नीचे दी गई तालिका अनुबंधित अछूते भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियां की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश प्रस्तुत करती है:

	अग्रेषित राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				
उधारी	314.62	50.00	264.62	314.62
व्यापार देयताएं	822.96	499.00	323.96	822.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	4,287.46	4,217.57	69.89	4,287.46
वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ				
उधारी	364.62	50.00	314.62	364.62
व्यापार देयताएं	824.59	501.04	323.55	824.59
अन्य वित्तीय देनदारियां	4,474.36	4,352.87	121.49	4,474.36

भारत सरकार का 6589.00 लाख रुपये का बकाया ऋण और उस पर 34016.13 लाख रुपये का संचित ब्याज वित्तीय देनदारियां में शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों, बीपीएमईएल और डब्ल्यूआईएल को दिए गए थे। बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डब्ल्यूआईएल परिसमापन के बाद बंद हो गई है। चूँकि सहायक कंपनियों से उक्त ऋण और ब्याज की वसूली अनिश्चित है, इसलिए इसे वित्तीय देनदारियां की परिपक्वता प्रोफ़ाइल में नहीं दिखाया गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक स्थिर पूँजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाज़ार का विश्वास बना रहे और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के आधार पर पूँजी की निगरानी करता है।

ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के लिए, ऋण को दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार माना जाता है। कुल इक्विटी में जारी शेयर पूँजी और अन्य सभी इक्विटी रिज़र्व शामिल होते हैं।

31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 तक पूंजी संरचना निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल इक्विटी	26,377.59	23,730.58
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	98.82%	98.49%
वर्तमान परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधार	314.62	364.62
अल्पकालिक उधार	-	-
कुल उधार	314.62	364.62
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	1.18%	1.51%
कुल पूंजी (इक्विटी और उधार)	**26,692.22**	**24,095.20**

41 इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

क 1 अप्रैल, 2018 से, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" को अपनाया है और निर्माण एवं सेवा गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की पहचान "समय के साथ" पद्धति पर आधारित है। कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए प्रतिशत अनुपालन पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले अपनाई गई नीति के अनुरूप है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लेन-देन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:-

ख.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	परिचालन से राजस्व (अनुबंधों से सकल राजस्व - 21,482.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 29,333.89 लाख रुपये)	12,710.23	24,859.23
	अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-
	अन्य राजस्व	70.74	151.14
	कुल	**18,276.59**	**25,010.37**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क. वर्ष के दौरान व्यय राशि की आवश्यकता	30.66	22.07
ख. विगत वर्ष के दौरान राशि में कमी	-	-
ग. कुल (क+ख)	**30.66**	**22.07**
घ. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
- किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
- उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	30.66	22.07
कुल	30.66	22.07
कमी राशि	-	-

क) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	30.66	-	30.66

ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	22.07	-	22.07

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1. स्वच्छ भारत कोष	-	-
2. स्वच्छ गंगा कोष	-	-
3. कौशल विकास प्रशिक्षण		14.98
4. शिक्षा	-	-
5. स्वास्थ्य	-	-
6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-
7. पीएम केयर्स फंड	30.66	7.09
कुल	**30.66**	**22.07**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

43. अदालती मामलों का विवरण

दिनांक 31.03.2025 तक बीबीजे/बीबीयूएनएल से संबंधित लंबित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति (मध्यस्थता और अदालती मामले)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
1.	बेदखली का मुकदमा सिविल सूट (सी.एस.) संख्या –482 वर्ष हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में मोदी बिल्डिंग लिमिटेड) – बनाम – बीबीजे	1982	● **संक्षेप में तथ्य:** जुलाई 1982 में भवन मालिक द्वारा बेदखली का मामला दायर किया गया था -प्रीशियस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) का बाद में नाम बदलकर मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) के खिलाफ बीबीजे को उस परिसर से बेदखल करने का मामला दर्ज किया गया है, जहां बीबीजे का मुख्यालय स्थित है।	बेदखली का मुकदमा	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
2.	मनी सूट टाइटल सूट टी. एस. संख्या 91 वर्ष 2009 (टी. एस. सं. 3827 वर्ष 2016/ टी. एस. नं.0001653 (2016) बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) – बनाम – जेसप एंड कंपनी लिमिटेड	2009	● **संक्षेप में तथ्य:** जुलाई 1982 में भवन मालिक द्वारा बेदखली का मामला दायर किया गया था -प्रीशियस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) का बाद में नाम बदलकर मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) के खिलाफ बीबीजे को उस परिसर से बेदखल करने का मामला दर्ज किया गया है, जहां बीबीजे का मुख्यालय स्थित है।	बेदखली का मुकदमा	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
3(क).	मध्यस्थता अपील एपी संख्या – 738/2010 बीबीजे - बनाम - मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती)	2010	● **संक्षेप में तथ्य:** डेहरी-ऑन-सोन और मुगलसराय के बीच छह अलग-अलग स्थानों पर कंपोजिट गर्डरों के निर्माण से संबंधित पूर्वी रेलवे की एक परियोजना से संबंधित विवादों के लिए मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) और बीबीजे के बीच एक मध्यस्थता कार्यवाही हुई। परियोजना वर्ष लगभग 1998 था। ● एकमात्र मध्यस्थ ने 14.09.2010 को प्रतिवादी - बीबीजे के विरुद्ध दावेदार (मेसर्स सिवटेक) के पक्ष में निर्णय पारित किया (जिसे 25.09.2010 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था)। निर्णय का कुल मूल्य ₹17 लाख + ब्याज था। ● व्यथित होकर बीबीजे ने दिनांक 10.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की, जिसमें दिनांक 14.09.2010 के उक्त मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी गई।	रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
3(ख).	निष्पादन मामला उच्च न्यायालय, कलकत्ता ई.सी. संख्या 142 वर्ष 2022 मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) - बनाम - बीबीजे	2022	● **संक्षेप में तथ्य:** 12 वर्ष बीत जाने के बाद, मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में दिनांक 14.09.2010 के उपर्युक्त मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिए बीबी के विरुद्ध वर्तमान निष्पादन वाद दायर किया। दावा की गई कुल राशि 81 लाख रुपये है (जिसमें वर्तमान निष्पादन वाद दायर करने की तिथि तक अर्जित ब्याज भी शामिल है)। ● उपस्थिति के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद, बीबीजे अपने सॉलिसिटरों और वकीलों के माध्यम से कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और मामले का बचाव किया।	81 लाख रुपये (अर्जित ब्याज सहित)	इस मामले पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) द्वारा अभी निर्णय दिया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
4.	मध्यस्थता अपील एए संख्या - 1, 2010 (कुंवारी प्रथम पुल अनुबंध मामला) - एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2010	● **संक्षेप में तथ्य:** मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 12.11.2008 को एक 'शून्य' देयता मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने उक्त निर्णय को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय ग्वालियर जिला न्यायालय में चुनौती दी। बीबीजे को कोई प्रति नहीं दी गई, इसलिए कोई भी संलग्न नहीं था। ● हालांकि उक्त न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के दावों को खारिज कर दिया और दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया। ● व्यथित होकर, उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय के उक्त आदेश को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी।	शून्य देयता	मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश (ग्वालियर पीठ)
5.	बिजली का मामला विद्युत प्रमाणपत्र मामला संख्या 01/13-14 बीएसईबी – बनाम – बीबीजे	2013	● **संक्षेप में तथ्य:** बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) जिसे अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) कहा जाता है, ने गंगा ब्रिज परियोजना स्थल पर बिजली आपूर्ति के बदले बीबीजे से अवैध रूप से 54.36 लाख रुपये की मांग की। ● बीईएसबी ने बीबीजे से 54.36 लाख रुपये की वसूली के लिए 2013-14 का इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 दायर किया। ● बीबीजे को बीएसईबी की उक्त बलपूर्वक कार्रवाई के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17069/2019) दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.12.2022 के एक आदेश द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के दावे को खारिज कर दिया। दिनांक 08.12.2022 के उक्त आदेश के अनुसार, बीबीजे अब मुंगेर, बिहार में वर्तमान विद्युत मामले के निपटारे के लिए कदम उठा रहा है।	54.36 लाख रुपये	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय न्यायालय, जिला नीलामी प्रमाणपत्र पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
6.	अपील का मामला नियमित अपील संख्या 129 वर्ष 2014 (डायरी संख्या 9046 वर्ष 2014) ओएमडीसी – बनाम – 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (परिसमापन में) 4. सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय 5. बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) [यहां भारत संघ और बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं।]	2014	● **संक्षेप में तथ्य:** यूको बैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएमईएल (परिसमापन में) से 1,92,12,957.92 रुपये और यूओआई से संयुक्त रूप से, अलग-अलग और व्यक्तिगत रूप से 2,16,13,312.35 रुपये के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, जो कि 08.05.1991 से वसूली तक "उपर्युक्त प्रमाणित राशि" पर 19.5% की दर से ब्याज के साथ कुल 4,08,26,270 रुपये थी, जिसे यूको बैंक द्वारा टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था। ● आरआईएनएल की सहायक कंपनी, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), पहले उड़ीसा राज्य में तीन खदानों का संचालन करती थी और जब 14 अक्टूबर, 1980 को बीपीएमईएल का निगमन सरकारी कंपनी के रूप में हुआ, तो भारत सरकार ने खदानों को बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपने की अधिसूचना जारी की। चूंकि ओएमडीसी उक्त खदानों का संचालन कर रही थी, इसलिए बीपीएमईएल ने पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से अपने सभी अधिकार और स्वामित्व ओएमडीसी को सौंप दिए थे। ● अब टीपीजी, बीपीएमईएल का सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, वसूली अधिकारी से तथा उसके बाद डीआरटी के पीठासीन अधिकारी से उक्त खदानों के कब्जे का दावा कर रहा है। ● व्यथित होकर ओएमडीसी ने पी.ओ./डीआरटी-I द्वारा पारित सभी पूर्व आदेशों की समीक्षा/रद्द करने तथा यूको बैंक का टीपीजी आदि को असाइनमेंट रद्द करने के लिए डीआरएटी के समक्ष 09.05.2014 को वर्तमान अपील दायर की, जहां यूओआई और बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं।	अपील का मामला [बीपीएमईएल (परिसमापन के अधीन) के विरुद्ध यूको बैंक की बकाया राशि के संबंध में]	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
7(क).	मध्यस्थता अपील ए.पी.सं. 9 वर्ष 2016 जी.ए. संख्या: 120 वर्ष 2016 इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड. – बनाम – बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल)	2016	● **संक्षेप में तथ्य:** जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड ("जेसॉप") और अन्य के इक्विटी शेयरों से संबंधित विवादों के लिए कंपनी और इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (आईडब्ल्यूईएल) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई। ● माननीय एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति आलोक चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त) ने 11.09.2015 को बीबीयूएनएल के पक्ष में निर्णय पारित किया और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ● व्यथित होकर आईडब्ल्यूईएल ने दिनांक 11.09.2015 के अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते हुए दिनांक 04.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मध्यस्थता याचिका दायर की।	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला लंबित है और इसे आगे की सुनवाई के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
7(ख).	निष्पादन मामला ई.सी. संख्या 458 वर्ष 2018 बीबीजे (पहले बीबीयूएनएल) - बनाम - इंडो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2018	• **संक्षेप में तथ्य:** उपर्युक्त अंतिम मध्यस्थता निर्णय दिनांक 11.09.2015 को बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) के पक्ष में पारित किया गया था और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल) ने 41.02 करोड़ रुपये + ब्याज की राशि की वसूली के लिए 19.09.2018 को यह निष्पादन आवेदन दायर किया।	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला लंबित है और इसे आगे की सुनवाई के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
8.	मध्यस्थता अपील मध्यस्थता अपील संख्या 2, 2019 (जोगीघोपा पुल अनुबंध मामला) एन.एफ. रेलवे – बनाम – बीबीजे	2016	• **संक्षेप में तथ्य:** यह मामला असम में निर्मित जोगीघोपा पुल से संबंधित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 02.11.2010 को बीबीजे के पक्ष में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन में। व्यथित होकर, एनएफ रेलवे ने अंतिम मध्यस्थता निर्णय को गुवाहाटी के माननीय जिला न्यायालय में चुनौती दी। 23.07.2014 को, कामरूप, गुवाहाटी के माननीय जिला न्यायालय ने एनएफ रेलवे के दावों को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद, एनएफ रेलवे ने 17.10.2015 को माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की (जिसे 02.02.2019 को स्वीकार किया गया)।	शून्य देयता	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम
9.	सिविल अपील पीपी अपील संख्या 6, 2017 (विक्टोरिया हाउस मामला) – बीबीजे – बनाम – केओपीटी (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	• **संक्षेप में तथ्य:** यह मामला सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(3) के तहत केओपीटी द्वारा बीबीजे के खिलाफ 'विक्टोरिया वर्क्स' में 01.04.1988 से 31.03.1989 तक अनधिकृत कब्जे के लिए 10,57,872/- रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में किए गए दावे से संबंधित है। केओपीटी के दावे को बीबीजे ने संपदा अधिकारी के समक्ष विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी। 08.03.2017 के एक विवादित आदेश द्वारा केओपीटी के माननीय संपदा अधिकारी ने केओपीटी के दावों को बरकरार रखा। 08.03.2017 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, बीबीजे ने 23.03.2017 को अलीपुर में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष यह अपील दायर की। तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 22.06.2017 के आदेश द्वारा केओपीटी के संपदा अधिकारी के दिनांक 08.03.2017 के विवादित भुगतान आदेश पर रोक लगा दी और यह रोक अभी भी जारी है।	10.57 लाख रुपये + ब्याज	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	अलीपुर, दक्षिण 24 परगना में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश की माननीय अदालत

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
10.	अपील का मामला – विविध आवेदन संख्या 04, 2021 (नियमित अपील संख्या 118 वर्ष 2012) भारत संघ - बनाम - यूको बैंक एवं अन्य उत्तरदाता: 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (परिसमापन में) 4. बीबीयूएनएल (अब बीबीजे)	2018	● •**संक्षेप में तथ्य:** इससे पहले, भारत संघ (यूओआई) ने 01.08.2012 को मामला संख्या 118/2012 के तहत वर्तमान अपील दायर की थी। दूसरी ओर, टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बीपीएमईएल के शेयरों की कुर्की के आदेश को रद्द करने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी के दिनांक 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध संख्या 138/2012 के तहत क्रॉस अपील दायर की थी। हालाँकि, उक्त आदेश में, भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी देनदारियों के निर्वहन हेतु या किसी अन्य तरीके से बीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने पर विचार करे।	अपील का मामला	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
11(क).	मध्यस्थता अपीलमध्यस्थता मामला संख्या 30, 2022 (विविध सिविल केस संख्या 858/2017) (चंबल 1ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मामला) – एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	● **संक्षेप में तथ्य:** बीबीजे के पक्ष में दिनांक 31.10.2008 को एक 'शून्य' देयता मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उक्त निर्णय को (विविध सिविल वाद संख्या 858/2017) 17.11.2017 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय में चुनौती दी। बाद में यह मामला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ● बीबीजे को 12.09.2022 को सम्मन प्राप्त हुआ और अब वह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील का विरोध कर रहा है।	शून्य देयता	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय
11(ख).	मध्यस्थता अपील मध्यस्थता मामला संख्या 21, 2018 (चंबल द्वितीय ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मामला) एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	● **संक्षेप में तथ्य:** बीबीजे के पक्ष में दिनांक 07.04.2015 को 'शून्य' देयता वाला मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उक्त निर्णय को (मध्यस्थता प्रकरण संख्या - 21/2018) दिनांक 10.07.2018 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय में चुनौती दी। ● बीबीजे को 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त हुआ और अब वह जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील का विरोध कर रहा है। ● वर्तमान में यह मामला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित है।	शून्य देयता	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
12.	विशेष अनुमति याचिका (मध्यस्थता अपील मामला) एसएलपी(सी) संख्या 8221 वर्ष 2020 (संदर्भ - ए.पी. संख्या 69 वर्ष 2019) (मनोहरपुर-बंडामुंडा मध्यस्थता मामला) बीबीजे – बनाम – दक्षिण पूर्व रेलवे	2020	● **संक्षेप में तथ्य:** दक्षिण पूर्व रेलवे के विरुद्ध बीबीजे के लगभग 7.34 करोड़ रुपये के वैध दावे से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जो जीसीसी के अनुसार मध्यस्थ(यों) की नियुक्ति के बाद शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। ● वर्तमान एसएलपी 16.03.2020 को बीबीजे द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्त करने के लिए दायर की गई थी।	7.34 करोड़ रुपये + ब्याज	यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
13.	मध्यस्थता कार्यवाही (संदर्भ: ए.पी. संख्या 188 वर्ष 2019) ए.पी.सं.330/2018 से उत्पन्न) (सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे – बनाम – पूर्वी रेलवे और अन्य	2021	● **संक्षेप में तथ्य:** वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही पूर्वी रेलवे के सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना में 36 पुलों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न विवादों के लिए बीबीजे द्वारा पूर्वी रेलवे के खिलाफ दायर की गई थी। ● बीबीजे के अन्य दावों के अलावा, ई. रेलवे के खिलाफ बीबीजे का लगभग 1.20 करोड़ रुपये का एक बड़ा स्वीकृत दावा है और अन्य दावे भी हैं, जिन पर मध्यस्थता में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। ● दिनांक 07.04.2021 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) को बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच विवादों और मतभेदों का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। ● 01.03.2022 को, माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने 28.02.2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे को दावेदार - बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 20.05.2022 को, प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे ने बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया। ● बीबीजे के शेष 12.46 करोड़ रुपये के दावे और 18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा तथा पूर्वी रेलवे के 3.63 करोड़ रुपये के प्रति दावे अभी भी मध्यस्थता कार्यवाही के निर्णयाधीन हैं।	12.46 करोड़ रुपये + ब्याज	यह मामला अंतिम मध्यस्थता निर्णय के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ – माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
14(क)	निष्प+A128+B128: B128:B133 ई.सी. संख्या 1, 2022 बीबीजे – बनाम – पूर्व मध्य रेलवे और अन्य	2022	● **संक्षेप में तथ्य:** मुगलसराय में 3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलोडेबल वैगनों की मरम्मत के लिए अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद। ● एकमात्र मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे के पक्ष में दिनांक 17.03.2021 को अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थबीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और ई.सी. रेलवे को कुल 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।38,72,26,975.00बीबीजे को पुरस्कार की तारीख से लेकर उसकी प्राप्ति तक कुल पुरस्कार राशि पर 12.5% ब्याज सहित। ● आज तक पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 38,72,26,975.00 रुपये की अवार्ड राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ● 03.01.2022 को बीबीजे ने उपर्युक्त मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 17.03.2021 को लागू करने के लिए पटना सदर में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान निष्पादन मामला संख्या 2/2022 दायर किया।	रु.38.72 करोड़ों + ब्याज @12.5%	मामला सुनवाई के लिए तथा रेलवे ई.सी. द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान के लिए नियत किया गया है।	बिहार के पटना सदर में माननीय जिला न्यायाधीश
14(ख)	मध्यस्थता अपील सिविल विविध मामला संख्या 45 वर्ष 2021 पूर्व मध्य रेलवे और अन्य – बनाम – बीबीजे	2021	● **संक्षेप में तथ्य:** मुगलसराय में 3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलोडेबल वैगनों की मरम्मत के लिए अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद। ● एकमात्र मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे के पक्ष में दिनांक 17.03.2021 को अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और ई.सी. रेलवे को कुल 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।38,72,26,975.00 बीबीजे को पुरस्कार की तारीख से लेकर उसकी प्राप्ति तक कुल पुरस्कार राशि पर 12.5% ब्याज सहित। ● आज तक पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 38,72,26,975.00 रुपये की अवार्ड राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ● 08.07.2021 को, ई.सी. रेलवे ने वैशाली, बिहार में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील (सिविल विविध मामला संख्या 45/2021) दायर की, जिसमें उपर्युक्त मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 17.03.2021 को चुनौती दी गई। ● बीबीजे इस मामले में उपस्थित हुआ और इसका विरोध किया।	रु.38.72 करोड़ों + ब्याज @12.5%	मामला सुनवाई के लिए नियत है।	वैशाली, बिहार स्थित माननीय 15वें अपर जिला न्यायाधीश

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
15.	कर्मचारी भविष्य निधि मामला (संदर्भ: अपील संख्या ईपीएफ - 09/2016) बीबीजे (पहले बीबीयूएनएल) - बनाम - सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।	2023	● **संक्षेप में तथ्य:** एपीएफसी, आरओ, कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14(बी) और 7(क्यू) के तहत कुल 96,09,773/- रुपये की क्षति का दावा किया है। कई सुनवाई के बाद एपीएफसी, आरओ, कोलकाता ने दिनांक 15.02.2016 के आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 14(बी) के तहत उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया। ● केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोलकाता (सीजीआईटी) के 21.06.2023 के आदेश द्वारा सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता द्वारा जारी 15.02.2016 के आदेश को रद्द करते हुए मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के तहत क्षति के रूप में 66,43,791/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा, सीजीआईटी ने विभागीय परिपत्रों पर विचार करने और बीबीजे को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता को भी भेज दिया। ● इसलिए, सहायक भविष्य निधि आयुक्त– श्री अजय कुमार सिंह, ई.पी.एफ.ओ., कोलकाता ने बीबीजे के समक्ष 27.12.2023, 17.01.2024, 12.02.2024 और 21.02.2024 को सुनवाई की। उक्त सुनवाई में बीबीजे ने तर्क दिया कि बीबीजे ने कभी भी भविष्य निधि अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और ई.पी.एफ.ओ. द्वारा बीबीजे पर लगाया गया जुर्माना गलत और गैरकानूनी है। मामला अभी भी लंबित है और ई.पी.एफ.ओ., कोलकाता द्वारा अभी तक कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है।	96.09 लाख रुपये	इस मामले की अंतिम सुनवाई 21.02.2024 को हुई थी और उसके बाद ईपीएफ प्राधिकरण द्वारा कोई तारीख तय नहीं की गई है।	श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (सी एंड आर) क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय, कोलकाता
16.	मध्यस्थता कार्यवाही (संदर्भ - ओ.एम.पी. (टी) (कॉम.) 73/2022) (जौनपुर परियोजना मामला) बीबीजे – बनाम – उत्तर रेलवे	2023	● **संक्षेप में तथ्य:** यह विवाद जौनपुर के निकट लखनऊ-जफराबाद खंड में उत्तर रेलवे की परियोजना से संबंधित है। ● बीबीजे ने पिछले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को औपचारिक रूप से समाप्त करने और मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता याचिका दायर की। ● दिनांक 20.12.2023 को, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति दीपा शर्मा (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ (एकल पंच) के रूप में नियुक्त किया। ● 22.01.2024 को, माननीय एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष बीबीजे बनाम उत्तर रेलवे के बीच वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की पहली बैठक हुई।	5.35 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय एकमात्र मध्यस्थ सुश्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपा शर्मा

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
17.	निष्पादन मामला (गैबॉन परियोजना मध्यस्थता मामला) ईसी-कॉम संख्या 159/2025 ई.सी. संख्या 470 वर्ष 2023 कंसल्टेंट्स कंबाइन प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - बीबीजे	2023	● **संक्षेप में तथ्य:** माननीय एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) ने 20.05.2023 को अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया, जिसमें सीसीपीएल और बीबीजे को कुछ राशि की अनुमति दी गई। ● 16.11.2023 को, सीसीपीएल ने 20.05.2023 के अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए बीबीजे के खिलाफ वर्तमान निष्पादन मामला दायर किया। ● बीबीजे उपस्थित हुआ और अब सीसीपीएल द्वारा दायर उपर्युक्त निष्पादन मामले का मुकाबला कर रहा है। ● इस बीच बीबीजे ने 20.05.2024 के मध्यस्थता निर्णय का अनुपालन कर लिया था। ● वर्तमान में सीसीपीएल, बीबीजे के विरुद्ध उपर्युक्त निष्पादन मामले में मूल राशि पर ब्याज के लिए मुकदमा लड़ रही है। बीबीजे ने सीसीपीएल के दावों का विरोध किया।	42.21 लाख रुपये	इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष), वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा अभी तक तय नहीं किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष), वाणिज्यिक प्रभाग
18.	आज्ञापत्र (सेवा मामला) डब्लू.पी.ए. 5789 वर्ष 2024 बीबीजे – बनाम – 1. पश्चिम बंगाल राज्य, 2. श्री तरूण घोषाल.	2024	● **संक्षेप में तथ्य:** श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 से "गैन्ट्री ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे के दिनांक 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री तरुण घोषाल की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त समाप्ति के विरुद्ध श्री तरुण घोषाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के उप सचिव के समक्ष दिनांक 28.03.2001 को एक शिकायत पत्र दायर किया। ● मामला श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया और अंत में प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित कर दिया गया। ● 19.12.2023 को, प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल ने अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें श्री तरुण घोषाल की बर्खास्तगी को अनुचित और कानून की दृष्टि से गलत माना गया और बीबीजे के प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचता है तो उसे समाप्ति की तिथि से बहाली की तिथि तक पूर्ण वेतन और लाभ के साथ बहाल किया जाए। ● व्यथित होकर, बीबीजे ने दिनांक 19.12.2023 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की है।	सेवा संबंधी मामला	यह मामला सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय की वाद सूची में नहीं आ रहा है।	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
19.	मध्यस्थता कार्यवाही (एनईआरएसडीएस के अंतर्गत परियोजना) औशता कंसल्टिंग इंजीनियर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - 1. मणिपुर जनजातीय विकास निगम, 2. बीबीजे	2024	• **संक्षेप में तथ्य:** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश द्वारा [मध्यस्थता याचिका संख्या 1456/2022 में] बीबीजे को वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में जोड़ा गया है। औशता ने एनईआरएसडीएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क और पुलों के विकास हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार के रूप में अपने कार्य के लिए 87.64 लाख रुपये के बिलों का भुगतान न करने के लिए एमटीडीसी के विरुद्ध यह मध्यस्थता दायर की थी। • बीबीजे उपस्थित हुआ और उसने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि बीबीजे इस मध्यस्थता में पक्ष नहीं है और उसने पहले ही उस परियोजना के संबंध में एमटीडीसी के सभी बिलों का भुगतान कर दिया है, जिसमें औशता शामिल थी।	87.64 लाख रुपये + ब्याज	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ – माननीय श्री रमेश सिंह, अधिवक्ता
20.	मध्यस्थता याचिका (पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना) अनुरोध मामला संख्या 19/2025 बीबीजे – बनाम – पूर्व मध्य रेलवे	2025	• **संक्षेप में तथ्य:** यह मामला पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना से संबंधित है। बीबीजे ने परियोजना पूरी कर ली, लेकिन आज तक पूर्व मध्य रेलवे बीबीजे को देय कुल 8.83 करोड़ रुपये और 18% प्रति वर्ष की दर से मुआवज़ा नहीं दे पाया है। • वर्तमान याचिका बीबीजे द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्त करने के लिए दायर की गई है।	8.83 करोड़ रुपये प्लस 18% प्रति वर्ष मुआवजा।	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय पटना, बिहार

विषय: बीबीजे के लंबित कानूनी मामलों की कुल संख्या (31.03.2025 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1
2.	उच्च न्यायालय	10
3.	निचली अदालतें	8
4.	मध्यस्थ न्यायाधिकरण	3
5.	कोई अन्य प्राधिकरण या मंच	2
	कुल	**24**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

44 विश्लेषणात्मक अनुपात के संबंध में प्रकटीकरण

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च, 2025	31 मार्च 2024	% विचरण	विचलन का कारण >25%
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.43	1.40	2.59%	-
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.26	0.29	-10.38%	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) - (शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास + दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज) / वर्ष के दौरान देय या चुकाए गए दीर्घकालिक ऋण के ब्याज और मूलधन की कुल राशि।	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.10	0.07	45.24%	लाभ में वृद्धि के कारण
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	25.32%	17.07%	48.30%	लाभ में वृद्धि के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	5.49	5.87	-6.45%	-
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	7.00	11.32	-38.17%	राजस्व में कमी के कारण
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध क्रेडिट खरीदारी	औसत विविध लेनदार	13.09	12.33	6.16%	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	88.24%	142.71%	-38.17%	राजस्व में कमी के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व/शुद्ध बिक्री	16.74%	8.25%	102.95%	राजस्व में कमी के कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	14.51%	11.10%	30.74%	लाभ में वृद्धि के कारण
निवेश पर प्रतिफल (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	3.69%	2.67%	38.03%	लाभ में वृद्धि के कारण

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

45 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वे वस्तुएँ शामिल हैं जो बहुत पुरानी हैं और जिनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है। ऐसी संपत्तियों का लेखा-जोखा पुस्तकों में पूर्णतः मूल्यह्रास कर दिया गया है। 2024-25 के दौरान कंपनी ने ₹49.35 लाख (पिछले वर्ष 2023-24 - शून्य) (प्रधान लागत) मूल्य की ऐसी वस्तुओं की पहचान की और उन्हें कबाड़ के रूप में निपटाया। कंपनी ऐसी और वस्तुओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है जिनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है और उन्हें कबाड़ में डालने/बट्टे खाते में डालने के लिए तैयार है।

46 व्यापार प्राप्य - 38.98 लाख रुपये की गैर-वर्तमान संपत्ति (31 मार्च 2024: 38.98 लाख रुपये) लकवा परियोजना के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से देय राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे 2009-10 में बंद कर दिया गया था और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में उपरोक्त कार्य से संबंधित अवधारण जमा 42.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 42.29 लाख रुपये) और सुरक्षा जमा 37.49 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 37.49 लाख रुपये) शामिल हैं। ठेकेदार मेसर्स फ्रंटियर इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ पुस्तकों में पड़े 126.46 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 126.46 लाख रुपये) की संगत कुल देयता के कारण राशि को अच्छा माना गया है। लकवा प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पहले ही रु। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से देय राशि के संबंध में 38.98 लाख (31 मार्च 2024: रु.38.98 लाख)।

47 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू में बयाना राशि और अन्य जमा के रूप में रु.45.41 लाख (31 मार्च 2024- रु.45.41 लाख) की राशि शामिल है, जो बहुत पुरानी है जिसके विरुद्ध रु.40.78 लाख (31 मार्च 2024- रु.40.78 लाख) की राशि देय है और अन्य वित्तीय देनदारियां - चालू में शामिल है, जिसकी पुष्टि संबंधित पक्षों द्वारा नहीं की गई है, हालांकि कंपनी ने संबंधित देनदारियां के कारण इसे अच्छा माना है।

48 वर्ष के लिए इन्वेंटरी में पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक शामिल हैं, जिनमें कच्चे माल में 119.85 लाख रुपये, स्टोर स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों में 2.78 लाख रुपये, जो 8 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं, और खुले औजारों में 8.18 लाख रुपये, जो 10 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं और रिपोर्टिंग अवधि तक खातों में इसके लिए 58.46 लाख रुपये का संचित प्रावधान किया गया है।

49 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू में निम्नलिखित पक्षों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है जो बहुत पुरानी है और कंपनी ने इसे चालू प्रकृति का माना है।

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	ग्राहक से वसूलनीय बिक्री कर-बीबीयूएनएल	15.76	15.76
2	वेतन अग्रिम	10.45	10.45
	कुल	**26.21**	**26.21**

ग्राहक-बीबीयूएनएल से वसूली योग्य बिक्री कर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए बिहार के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त के समक्ष की गई अपील के विरुद्ध जमा की गई राशि को दर्शाता है।

50 अन्य चालू परिसंपत्तियों में निम्नलिखित पक्षों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशियाँ शामिल हैं, जिनकी कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है और जो बहुत पुरानी हैं। कंपनी इन्हें अच्छा और वसूली योग्य/समायोज्य मानती है और इसलिए इन्हें चालू प्रकृति का मानती है।

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	पारिवारिक पेंशन योजना- संविदा श्रमिक	15.02	15.02
2	वर्कमेन प्रोविडेंस इंस्टीट्यूशन	6.82	6.82
	कुल	21.84	21.84

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

51 व्यापारिक देयताएँ - गैर-चालू और अन्य देयताएँ: गैर-चालू में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जिनके विरुद्ध पिछले वर्षों में माल और सेवाएँ प्राप्त हुई थीं, और कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध इनका मिलान करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, कंपनी ने इन्हें दीर्घकालिक और गैर-चालू प्रकृति में देय माना है:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	देनदारियां का लेखा-जोखा - पूर्ण हो चुके अनुबंधों पर	1493.35	1493.35
2	देयता खाता	698.01	698.01
3	भारत सरकार देय खाता - बीबीवीएल तरलता और ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार पी/ई देय (उप.) - बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	सब्सक्राइबर्स को देय पी/ई फंड पर ब्याज।	357.65	357.65
6	विविध लेनदार - विविध (सहायक)	2.33	2.33
7	*आईटी निलंबन (अन्य) (194) देय - ओसीएल*	1.04	1.04
8	*बिक्री कर देय -ओसीएल*	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को देय ब्याज	2.37	2.37
10	पुराना असम्बद्ध संतुलन	6.36	6.36
कुल		2815.15	2815.15

52 वर्ष के अंत में कच्चे माल, भंडार, उपभोग्य सामग्रियों आदि की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और भौतिक और पुस्तक स्टॉक के बीच विसंगतियां, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटा दी गई हैं।

53 आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, 31.85 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 15.08 लाख रुपये) की एक निर्विवाद आयकर मांग है, जिसका खंडन करने के लिए कंपनी के पास उपयुक्त दस्तावेज़ या साक्ष्य नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि भुगतान हेतु कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित राशियाँ त्रुटिपूर्ण हो सकती हैं। कंपनी इसे ठीक कराने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता निर्धारित नहीं की गई है।

54 संबंधित सहायक अभिलेखों में दर्शाए गए शेषों के अनुसार, कुछ व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान तथा समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

55 भारत सरकार (जीओआई) की 2015 की स्वीकृति के अनुसार, बीबीजे (हस्तांतरक कंपनी) का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391(2) सहपठित धारा 394 के अंतर्गत बीबीयूएनएल (हस्तांतरिती कंपनी) के साथ विलय हो गया। विलय से पहले, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की एक सहायक कंपनी थी। कंपनी रजिस्ट्रार ने 18 नवंबर 2015 के अपने आदेश द्वारा, इस विलय के परिणामस्वरूप, कंपनी का नाम भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) से बदलकर दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले बीबीयूएनएल की भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल), बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल), लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और द दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) जैसी सहायक कंपनियाँ थीं। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, बीएससीएल और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंप दिया गया, लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और जेसप एंड कंपनी का विनिवेश कर दिया गया, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है।

56 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में बीपीएमईएल में 5932.96 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 5932.96 लाख रुपये), वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (बीपीएमईएल की सहायक कंपनी) में 656.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 656.03 लाख रुपये) और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती सहायक कंपनी) में 207.25 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 207.25 लाख रुपये) प्राप्य ब्याज के साथ, बीपीएमईएल से 33,656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 33,656.29 लाख रुपये), डब्ल्यूआईएल से 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 350.26 लाख रुपये) रिपोर्टिंग तिथि तक देय हैं। उक्त ऋण भारत सरकार द्वारा बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों बीपीएमईएल, डब्ल्यूआईएल और बीडब्ल्यूईएल को उनकी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए दिए गए थे। आज की तिथि में बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, डब्ल्यूआईएल का परिसमापन के बाद समापन हो गया और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंप दिया गया। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण लागत पर लिए जाते हैं।

57 रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में ₹486.30 लाख (31 मार्च 2024: ₹486.30 लाख) निवेश हैं, बीबीयूएनएल की पूर्व सहायक कंपनी जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) में ₹2558.01 लाख (31 मार्च 2024: ₹2558.01 लाख) परिसमापन के अधीन हैं और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (बीबीयूएनएल की पूर्व सहायक कंपनी) में ₹42.20 लाख (31 मार्च 2024: ₹42.20 लाख) निवेश हैं। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेश लागत पर किए जाते हैं।

58 कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') को दिए गए 6,588.99 लाख रुपये के ऋणों पर चालू वित्त वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, क्योंकि उपरोक्त सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं।

कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋणों पर, जिनका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था, वसूली न होने के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज के लिए प्रावधान किया गया होता, तो चालू वित्त वर्ष की वित्तीय लागत 2153.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 2160.39 लाख रुपये) अधिक होती और ब्याज के रूप में भारत सरकार को देय राशि 27070.09 रुपये (31 मार्च 2024: 24917.06 लाख रुपये) अधिक होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष का लाभ 2153.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 2160.29 लाख रुपये) कम होता।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

59 भारत सरकार के पत्र संख्या 17(12)/2000-पीई.III दिनांक 26.08.2003 के अनुसार मंजूरी के फलस्वरूप तथा कंपनी, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) और इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच निष्पादित "शेयर खरीद समझौते" के अनुसार, कंपनी ने जेसप एंड कंपनी के 6,81,34,428 इक्विटी शेयर (अर्थात 72%) 1818.00 लाख रुपये के मूल्य पर 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को बेचे/हस्तांतरित किए तथा 1818.00 लाख रुपये की पूरी बिक्री आय भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।

60 वर्ष 2005-06 के दौरान, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में आवेदन किया। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों के तहत जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102 और 103 के प्रावधान के अनुसार अपनी इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने की अनुमति दी।

कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के अंतर्गत अपील दायर की। कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध एएआईएफआर के समक्ष दायर दो अन्य अपीलों में भी पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किए। इनमें से एक अपील पहले ही वापस ले ली गई थी, लेकिन एएआईएफआर ने 28.02.2008 के आदेश द्वारा कंपनी द्वारा दायर अपील के साथ-साथ दूसरी अपील को भी खारिज कर दिया। कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसका निपटारा आज तक लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (जेसॉप में रणनीतिक साझेदार) के साथ हुए "शेयरधारक समझौते" के अनुसार विवादों को मध्यस्थता के लिए भी भेज दिया है। परिणामी लेखांकन प्रभाव को लेखांकन मानकों और सरकारी निर्देशों के अनुपालन में अंतिम निर्णय के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।

61 वित्तीय वर्ष 2005-06 में, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 की अवधि के संबंध में वसूले गए 'सेवा शुल्क' के कारण जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को 82.72 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई थी। कंपनी ने ब्याज और लागत के साथ राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, जो आज की तारीख तक निपटान के लिए लंबित है।

62 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने गैबॉन गणराज्य के बाइकेल टाउनशिप में नेबरहुड यूनिट के निर्माण के लिए ‘‘बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम’’ के नाम और शैली के तहत एक कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश किया था। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य (कंसोर्टियम भागीदार के साथ समझौते के अनुसार) एकत्रित किया गया था और 2.75 करोड़ रुपये तक सीमित था, जिसमें बैंक गारंटी शुल्क, यात्रा, स्थापना व्यय आदि जैसे विभिन्न मदों पर किए गए वास्तविक खर्च शामिल नहीं थे। अपनी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कंसोर्टियम को जारी की गई समतुल्य राशि के मोबिलाइजेशन एडवांस के खिलाफ गैबॉन सरकार के पक्ष में यूएस $ 725,000 (प्रोजेक्ट ऑर्डर मूल्य का 5%) की एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान की है। कंपनी को कंसोर्टियम से ऐसी गारंटी (वैधता अवधि समाप्त हो गई है) के लिए मार्जिन मनी प्राप्त हुई है।

परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति संतोषजनक न होने के कारण, कंपनी ने सम्मानजनक तरीके से इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है, जिस पर कार्य चल रहा है। मौजूदा समझौते के अनुसार, परियोजना से होने वाली किसी भी हानि और/या घाटे की स्थिति में कंपनी कंसोर्टियम भागीदार को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

बीबीजे और सीसीपीएल (कंसोर्टियम पार्टनर) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही माननीय मध्यस्थ के समक्ष शुरू की गई थी, जिसे कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था, ताकि कंसोर्टियम से ब्याज सहित किए गए भुगतान के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए विभिन्न दावों को हल किया जा सके।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

मध्यस्थता कार्यवाही का निर्णय 2023-24 में प्राप्त हो गया है और बीबीजे को कंसोर्टियम और बदले में सीसीपीएल को 3.64 करोड़ रुपये, यानी 7,25,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, बीबीजे को उक्त राशि पर संचित ब्याज अपने पास रखने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम को यह राशि वापस कर दी है। हालाँकि, सीसीपीएल ने निर्णय के बाद ब्याज का दावा करते हुए एक निष्पादन वाद दायर किया है जो कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

63 बीबीजे का संयुक्त उद्यम भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीसीसीएल) और पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) आज की तारीख में निष्क्रिय हैं, क्योंकि बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है और बीबीसीसीएल का आधार उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया जिसके लिए इसे 1971 में शामिल किया गया था। आज की तारीख में दोनों कंपनियों में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हैं और निष्क्रिय संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

64 इंड एएस 116 के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई परिचालन पट्टा मौजूद नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

65 अन्य वैधानिक जानकारी:

i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ii) कंपनी का किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन रद्द नहीं किया गया है।

iii) कंपनी का कोई भी ऐसा शुल्क या संतुष्टि ऋण नहीं है जो वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना बाकी हो।

iv) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

a. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

b. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा।

v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देना या निवेश करना

वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) या

ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करना।

vi) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

vii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

viii) कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में उचित लेखा-पुस्तकें बनाए रखती है और ये लेखा-पुस्तकें भारत में हर समय उपलब्ध रहती हैं और लेखा-पुस्तकों और खातों का बैकअप दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाता है।

66. जब भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

खोंगसांग स्टेशन से नोनी स्टेशन, मणिपुर के बीच इरिंग नदी पर रेलवे ब्रिज नंबर 130।
Railway Bridge no.130 over river Iring in between
Khongsang Station to Noney Station, Manipur.

खोंगसांग स्टेशन से नोनी स्टेशन, मणिपुर के बीच इरिंग नदी पर रेलवे ब्रिज नंबर 164।
Railway Bridge no.164 over river Iring in between
Khongsang Station to Noney Station, Manipur.

कोलकाता में हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु
Vidyasagar Setu over river Hooghly at Kolkata

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल, भारत
दूरभाष : +91 33 22485841 – 44,
ईमेल : info.bbjconst@bbjconst.com, वेबसाइट : www.bbjconst.com
27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700001, West Bengal, India.
Phone : +91 33 22485841 – 44,
email : info.bbjconst@bbjconst.com, Website : www.bbjconst.com

Design & Printed by : (033) 4063-3318